



मासिक

# अरफ़ात किट्टण

रायबरेली

**रसूलुल्लाह (स०अ०) – एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व**

“यदि कोई अकेली हस्ती ऐसी है जिसके बारे में पूरे विश्वास से कहा जा सके कि उसने वास्तव में इतिहास का रुख मोड़ दिया है, जिसने मनुष्य को अज्ञानता के बजाय ज्ञान, बेकार के रीति-रिवाजों के बजाय विचार करने की शक्ति तथा पूर्वजों के कुदमों की छाप की पैरवी के बजाय अक्ल व ध्यान तथा सोच—समझ से काम लेने का आदी बनाया है, तो वह व्यक्ति हुजूर—ए—अकरम मुहम्मदुर्सूलुल्लाह (स०अ०) है। रसूलुल्लाह (स०अ०) इतिहास के उस दोराहे पर खड़े नज़र आते हैं जहां से अक्ल व तर्क व भ्रम के रास्ते अलग होते हैं। रसूलुल्लाह (स०अ०) की शिक्षाओं ने लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया तथा उसकी देखने—परखने की क्षमता को चमका दिया।”

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)

DEC 17

₹10/-

मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल नदवी  
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

## દ્વાલાત કેસે બઢાયતે હોય!

“સેન કી જો ઘટના ઘટી તસ એ બહુત સી કિતાબેં લિખી ગયીં। ઇસમેં એક બાત બહુત નાજુક યાહું હૈ કે વહાં ધાર્મિક શિક્ષા કી ભી સેવા કી ગયી ઔર હાઁ ખુદા તક પહુંચને કે લિયે એસે—એસે મુજાહિદે હુએ જિનસે ચોટી કે ઔલિયા (બુજુર્ગ) પૈદા હુએ। બહુત સે લોગોં ને તો યાહાં તક કહ દિયા કી પૂરુબ અગર નબિયોં કી ધરતી હૈ તો પશ્ચિમ ઔલિયા (બુજુર્ગોં) કી સરજમીન હૈ। શેખ અકબર મુહીઉદ્દીન ઇબ્ને અરબી જૈસે બડે પ્રભાવશાલી શેખ પૈદા હુએ। ઇસી તરહ શિલ્પકલા કો ભી વહાં ઉન્નતિ પ્રાપ્ત હુઈ। સેન કી અપની એક સ્થાયી સાહિત્યિક સંસ્થા હૈ। ઇસકો “અલમદરસતુલ ઉન્દુલુસિયા” કહતે હૈને। ઇસસે ચોટી કે લેખક પૈદા હુએ। મોફકાત કે લેખક અલ્લામા શાતિબી (રહો) પૈદા હુએ, ઇબ્ને અબ્દુલબર પૈદા હુએ। એસે હી બહુત સી કિતાબોં કે લેખક પૈદા હુએ ઔર મોઅત્તા કી એસી શરહેં (વ્યાખ્યા) લિખી ગયીં। લેકિન એક ચીજ્યે સે પરહેજ ક્રિયા ગયા વહ યાહું કી વહાં કી અસ્લ આબાદી કો જો આટે મેં નમક કે બરાબર થી, અપની પૂરી સલતનત વ ઇક્સ્ટેદાર કે બાવજૂદ સંજીદગી કે સાથ ઇસ્લામ સે માનુસ કરને ઔર ઇસ્લામ કે દાયરે મેં દાખ્લિલ કરને કી કોણિશ નહીં કી ગયી। ઇસલિએ કી સત્તા મેં અક્સર યાહું ખ્યાલ પૈદા હો જાતા હૈ કી હમારે નામ ઇસ જમીન કા પદ્ટા લિખ દિયા ગયા હૈ। મુગ્લિયા સલતનત કી ફરમાનોં મેં યાહું શબ્દ મિલતા હૈ કી ‘‘દૌલત અબ્દ બરકુરાર’’ હમ બારાહરાસ્ત હજરત ઇસાફીલ કો ઇસ મુલ્ક કા ચાર્જ દેંગે ઔર ઉસ વક્ત તક કોઈ ખતરા નહીં હૈ, યાહું ઉન્કા ગ્રલત ખ્યાલ થા। ઇસ ફૈલી હુઈ આબાદી કો અપને હાલ એ છોડ દુનિયા ઔર ઉસકે જાબત કો ગ્રલત શિક્ષા કે જરિયે ગ્રલત ઇતિહાસ કે જરિયે અપની અખ્લાકી કમજૂરિયોં કે જરિયે, ઇસસે બઢાયત મુકાબિલ રાજનીતિક આંદોલનોં કે જરિયે, બઢાને વ ફલને—ફૂલને કા મૌકા દેના બહુત ખતરનાક હૈ। હિન્દુસ્તાન મેં તો યાહું બાત જ્યાદા સાફ તૌર એ હૈ। મુસ્લિમાનોં ને હિન્દુસ્તાન એ આઠ સૌ સાલ તક હુકૂમત કી હૈ ઔર જબ આખિર મેં વિરોધ કી સિયાસી તહરીકે ચલીં હૈને ઔર ઉન્હોને ગૈર મુસ્લિમોં કે દિલ મેં બડે—બડે નાસૂર પૈદા કર દિયે હૈને। અબ ઇસકો એયામે ઇન્સાનિયત કે જરિયે હી ખત્મ ક્રિયા જા સકતા હૈ।

હજરત મૌલાના સૈયયદ અબુલ હસન અલી હસની નદવી (રહો)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मासिक

# अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक: १२

दिसम्बर २०१७ ई०

वर्ष: ३



## संरक्षक

हज़रत मौलाना  
सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी  
(अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)



## निरीक्षक

मो० वाजेह रशीद हसनी नदवी  
जनरल सेक्रेटरी - दारे अरफ़ात



## सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी



## सम्पादकीय मण्डल

मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी  
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी  
महम्मद हसन हसनी नदवी



## सह सम्पादक

मो० नफीस रवाँ नदवी



अनुवादक  
मोहम्मद  
सैफ

मुदक  
मो० हसन  
नदवी

## इस अंक में:

- |   |    |
|---|----|
| बहार जो दुनिया में अब आई हुई है.....          | २  |
| बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी                    |    |
| रसूलुल्लाह (स०अ०) की सीरत का पैगाम.....       | ३  |
| हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी इ०   |    |
| हज़रत दाऊद व हज़रत सुलेमान (अलैहिस्सलाम)..... | ५  |
| हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी      |    |
| तक़वा और परहेज़गारी.....                      | ८  |
| मौलाना अबुल्लाह हसनी नदवी इ०                  |    |
| एकेश्वरवाद क्या है?.....                      | १० |
| बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी                    |    |
| मुसाफिर की नमाज़-२.....                       | १२ |
| मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी                       |    |
| मदीना के मुनाफ़िकीन.....                      | १४ |
| अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी                     |    |
| रसूलुल्लाह स०अ० की मुहब्बत.....               | १७ |
| मुहम्मद अद्दुग्गान बदायूनी नदवी               |    |
| मुस्लिम नरसंहार का स्पेनी मॉडल.....           | १८ |
| मुहम्मद नफीस खाँ नदवी                         |    |

E-Mail: markazulimam@gmail.com



[www.abulhasanalinaladwi.org](http://www.abulhasanalinaladwi.org)

मर्कजूल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, य०पी०.२२९००१

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिस्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खाँ, सन्जी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से  
छपाकर आफिस अरफ़ात कियण, मर्कजूल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक  
100रु०

# बहुर अब जौ दुनिया मैं आई हुई है

● विलाल अब्दुल हसीनी नदवी

लाख आँखें बन्द की जाएं और इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिशों की जाएं, लेकिन दुनिया के इतिहास का अध्ययन करने वाले बखूबी जानते हैं कि आज से पन्द्रह सौ साल पहले दुनिया क्या थी। ऐसा लगता था कि जानवरों के रहने की जगह थी। उस समय की संस्कृति एक सड़ी हुई लाश की तरह थी जिसकी बदबू से हर इन्सान परेशान था। हर ताक़तवर शिकारी और हर कमज़ोर शिकार था। मानवता के इतिहास में औरत को कभी उतना तुच्छ नहीं समझा गया था। उस समय न माँ माँ थी, न बीवी बीवी। औरत को एक जानवर समझा लिया गया था। राह व मंज़िल से बेखबर वह दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। कहने का तात्पर्य यह कि जीवन का पहिया एक ऐसे ढलान पर जा पहुंचा था तथा उसके आगे एक ऐसी गहरी खाई थी कि बचने का रास्ता नज़र नहीं आता था। अज्ञानता की काली घटा छायी हुई थी, जिसमें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती थी।

ऐसी विषम परिस्थितियों में हज़रत अब्दुल्लाह के घर बीवी आमिना के यहां रसूलुल्लाह (स0अ0) का जन्म हुआ। उस अनमोल मौती के माथे से सत्य का प्रकाश फूट रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक उस सादिक़ व अमीन (सत्यवान व विश्वस्नीय) का पाक-साफ़ जीवन हरएक के लिये आदर्श था। रसूलुल्लाह (स0अ0) की उम्र पच्चीस साल की थी जब हज़रत ख़दीजा (रज़ि0) जैसी चरित्रवान औरत ने निकाह का संदेश भेजा जिसे रसूलुल्लाह (स0अ0) ने अपने चचा की सहमति से स्वीकार कर लिया।

चालीस साल की उम्र में नुबूवत मिली। उसकी रोशनी दुनिया में फैलनी लगी। “पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया” (कुरआन) खुदा के इस सबसे पहले फरमान ने दुनिया को इल्म व क़लम की वह असीमित दौलत बख़्ती जिसने जहन्नम रूपी दुनिया को जन्नत रूपी बना दिया। इल्म के दरिया बहे। हिंसा व अत्याचार ने दम तोड़ा। मानव को मानवता की पराकाष्ठा प्राप्त हुई। अपने रब की पहचान मिली। मानवीय एकता का पाठ पढ़ाया गया। औरतों को आज़ादी मिली तथा शर्म व हया का ज़ेवर मिला। माता-पिता को खुदा और रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा मिला। ख़ानदान वालों के साथ हमदर्दी व सुहानुभूति को उम्र तथा रोज़ी में बरकत का साधन बताया गया। पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार को ईमान की पहचान बताया गया। सेवकों के साथ नर्मी करने का आदेश दिया गया। बेवा व यतीम के दुख बांटने व उनके साथ हमदर्दी करने को मणिफरत (मुक्ति) का साधन बताया गया। बीमार को देखने जाने को रहमत का दरिया बताया गया। यहां तक कि जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का आदेश दिया गया। पेड़-पौधों का भी हक़ बताया गया तथा यहां तक कह दिया गया कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, पैर पटक-पटक कर मत चलो, ज़मीन का भी हक़ है।

पेड़-पौधों को यह अधिकार किसने दिया। कमज़ोरों को गले किसने लगाया। वह किस ज़ात की आमद थी कि बाग-ए-आलम की कली-कली मुस्कुराने लगी??

रहमत-ए-आलम (स0अ0) की यह अमानत पूरी तरह से रहमतुल-लिल-आलमीन (स0अ0) की उम्मत के हवाले है। आज इस उम्मत (सम्प्रदाय) ने उसे भुला दिया। जीवन की दिशा बदल गयी। नतीजा यह हुआ कि कौमों का रुख़ बदल गया। जो अमृत मानव जीवन के लिये आवश्यक था, जिस स्रोत से मानवता का बाग सदा लहलहाता रहा। मानवता के कुछ दुश्मन उसी को सुखाने में लग गये। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान इस हकीकत व ज़रूरत को अपनी कथनी तथा करनी से दुनिया के सामने प्रस्तुत करे और दुनिया भी अपनी बन्द आँखें खोल कर देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है:

खिरद का नाम जुनून रख दिया जुनून का खिरद।

रसूलुल्लाह (स0अ0) के बारे में आज पश्चिमी मीडिया क्या प्रस्तुत करना चाहता है और उसके सुर में सुर मिलाने वाले कहां कहां हैं और उनका क्या मक़सद है। किस प्रकार सूर्योदय को रात का अंधेरा बताने का प्रयास किया जा रहा है। कोई गौर करे और सोचे कि दुनिया को किस ख़तरनाक गढ़ में गिराने की कोशिश है। कोई खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाये। इन्सानियत पर सबसे ज़्यादा एहसान करने वाले रसूलुल्लाह (स0अ0) के बारे में अगर कोई नकारात्मक सोच पेश करे, इसके सिवा उसे और क्या कहा जा सकता है कि उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

# રસૂલુલ્લાહ (રીત) કી રીત કા પૈગામ આજ કે મુસ્લિમાનોં કે નામ

દ્વારા મૌલાના સેષદ અબુલ હસન અલી હસની નદ્વી

સબ જાનતે હું કી જિસ વક્ત રસૂલુલ્લાહ (રીત) દુનિયા મેં આયે, દુનિયા કોઈ વીરાન વ ક્રબિસ્તાન ન થી। જિન્દગી કા ચક્કર જિસ તરહ ઇસ વક્ત ચલ રહા હૈ, બહુત થોડે સે ફર્ક કે સાથ ઉસ વક્ત ભી ચલ રહા થા। સારે કારોબાર આજ કી તરહ હો રહે થે। વ્યાપાર ભી થા। ખેતી ભી થી। શાસન—પ્રસાશન ચલાને વાલે ઔર ઉનકી મિશનરી મેં ફિટ હોને વાલે લોગ ભી મૌજૂદ થે। ઉસ સમય કી દુનિયા કે લોગ ઉસ જીવન પર પૂરી તરહ સંતુષ્ટ થે ઔર ઉનકો ઇસમેં કિસી તરહ કે બદલાવ યા સુધાર કી જરૂરત મહસૂસ નહીં હોતી થી।

લેકિન અલ્લાહ તાલા કો અપની જમીન કા નક્શા ઔર દુનિયા કી યહ હાલત બિલ્કુલ પસંદ ન થી। હદીસ મેં ઉસ જમાને કે બારે મેં હૈ:

“અલ્લાહ તાલા ને જમીન વાલોં પર નજર ડાલી, ઉસને જમીન કે સભી બસને વાલોં ક્યા અરબ, ક્યા અજમ (આર્ય વ દ્રવિડ) સબકો બહુત નાપસંદ કિયા ઔર વહ ઉનસે ઉદાસીન હો ગયા સિવાય અહલ—એ—કિતાબ (વે યહૂદી વ ઈસાઈ જો સત્યમાર્ગ પર થે) કે કુછ લોગોં કે।”

એસી હાલત મેં અલ્લાહ તાલા ને હજરત મુહમ્મદ (રીત) કો ભેજા ઔર આપ (રીત) કે સાથ એક પૂરી કૌમ કે ઉદય કા માર્ગ પ્રશસ્ત કિયા। સાફ હૈ કી ઉનકો કિસી એસે મકસદ કે લિયે પૈદા કિયા ગયા થા જો દૂસરી કૌમોં સે પૂરા નહીં હો રહા થા, જો કામ વે સબ પૂરી લગન ઔર શોક કે સાથ કર રહે થે। ઇસલિએ જાહિર હૈ કી કિસી નયી ઉમ્મત કો પૈદા કરને કી જરૂરત ન થી ઔર ઇન્સાન જિન્દગી કે ઇસ સુકૂન ભરે સમન્દર મેં ઇસ નયી ઉથલ—પુથલ કી જરૂરત ન થી જો મુસ્લિમાનોં કે વુજૂદ સે આયા ઔર જિસને જમીન મેં એક ભૂચાલ પૈદા કર દિયા થા। અલ્લાહ તાલા ને જબ

હજરત આદમ (અલૈહિસ્સલામ) કો પૈદા તો ફરિશ્ઠોં ને કહા કી પાકી વ બઢાઈ બયાન કરને કે લિયે હમ નિયાજમન્દ બહુત કાફી હું હૈન। ઇસકે લિયે ઇસ ખાક કે પુતલે કો પૈદા કરને કી જરૂરત સમજ્ઞ મેં નહીં આયી। અલ્લાહ તાલા ને સ્પષ્ટ કર દિયા કી આદમ સિર્ફ ઉસી કામ કે લિયે પૈદા નહીં હુએ જો ફરિશ્ટે કર રહે હું હૈન। ઉનસે ખુદા કો કુછ ઔર કામ લેના હૈ।

અગર મુસ્લિમાન સિર્ફ કારોબાર કે લિયે પૈદા કિયે જા રહે થે, તો મકકા કે ઉન કારોબારિયોં કો જો શામ (વર્તમાન સીરિયા) વ યમન કા કારોબારી સફર કિયા કરતે થે ઔર મદીના કે ઉન બઢે—બઢે યહૂદી સૌદાગરોં કો જિનકે બઢે—બઢે ગઢ બને હુએ થે, યહ પૂછને કા અધિકાર થા કી ઇસ ખિદમત કે લિયે હમ ગુનાહગાર ક્યા કમ હું કી ઇસકે લિયે એક નયી ઉમ્મત પૈદા કી જા રહી હૈ? અગર ખેતી કરના મકસદ થા તો મદીના ઔર ખૈબર કે, તાએફ ઔર નજ્દ કે, શામ ઔર યમન ઔર ઇસાક કે કૃષકોં ઔર ખેતી કરને વાલે લોગોં કો યહ પૂછને કા હક થા કી ખેતી ઔર કિસાની મેં હમ મેહનત વ કોશિશ કી કૌન સી કસર ઉઠા રખતે હું કી જિસકે લિયે એક નયી ઉમ્મત પૈદા કી જા રહી હૈ। અગર દુનિયા કી ચલતી હુઈ મિશનરી મેં સિર્ફ ફિટ હોના થા ઔર હુકૂમતોં કે કામ—કાજ ઔર દફતરી કારોબાર કો મુઆવજા લેકર ચલાના થા તો રોમ વ ઈરાન કી વ્યવસ્થા સંભાળને વાલે કર્મચારીયોં કો યહ કહને કા હક થા કી ઇસ કામ કો અંજામ દેને કે લિયે હમ બહુત હું ઔર હમારે બહુત સે ભાઈ બેરોજગાર હું ઇસકે લિયે નયે ઉમ્મીદવારોં કી ક્યા જરૂરત હું હૈ?

લેકિન હકીકત મેં મુસ્લિમાન બિલ્કુલ હી એક નયે ઔર એસે કામ કે લિયે પૈદા કિયે જા રહે થે જો દુનિયા મેં

कोई न कर रहा था और न कर सकता था। इसके लिये एक नयी उम्मत ही की ज़रूरत थी। इसीलिए कहा गया:

“तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिये पैदा की गयी, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो।”

इसी मक्सद की खातिर लोग घर से बेघर हुए। अपने कारोबार को नुक़सान पहुंचाया। अपनी जीवनभर की पूँजी लुटायी। अपनी बने—बनाये कारोबारों पर पानी फेरा। अपनी खेती—बाड़ी और बाग़ों को वीरान किया। अपने ऐश व आराम को अलविदा कहा। दुनिया की तमाम कामयाबियों और खुशहालियों से आंखे बन्द कर लीं और सुनहरे मौके खो दिये। पानी की तरह अपना खून बहाया और अपने बच्चों को यतीम और अपनी औरतों को बेवा किया। इन मक्सदों व उद्देश्यों के लिये जिन पर आज मुसलमान अत्यधिक संतुष्ट नज़र आते हैं इस तरह की क़्यामत बरपा करने की ज़रूरत न थी। इसके हासिल होने का रास्ता तो बिना किसी ख़तरे का व आसान था और इस रास्ते पर दुनिया के लोगों से कोई बड़ी कशमकश और मुक़ाबला नहीं था और न यह अरब वालों और दुनिया की दूसरी कौमों के लिये शिकायत की वजह थी। उन्होंने तो बार—बार इन्हीं चीज़ों की पेशकश की, “जो आज आम मुसलमानों की चाहत है” और हर बार इस्लाम की दावत देने वालों ने इनको तुकरा दिया। दौलत व सरदारी, ऐश व आराम और राहत व तन की आसानी की बड़ी पेशकश को नामंजूर किया। फिर अगर मुसलमान को इसी सतह पर आ जाना था, जिस पर उस ज़माने की तमाम क़ाफिर कौमें थीं और इस वक्त भी दुनिया की तमाम मुस्लिम आबादी है और जीवन की इन्हीं व्यस्तताओं में लगे रहना और पूरी तरह से ढूब जाना था, जिनमें अरब वाले और रोमी व ईरानी ढूबे हुए थे और उन्हीं कामयाबियों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते थे, जिनको उनके पैग्म्बर (स0अ0) उनके बेहतरीन मौके पर रद्द कर चुके थे। तो यह इस्लाम के आरम्भिक इतिहास पर पानी फेर देने के बराबर है और इस बात का ऐलान है कि इन्सानों का वह बहुत ही कीमती खून जो

बद्र व हुनैन व अहज़ाब व कादसिया व यरमूक की ज़ंगों में अनावश्यक बहाया गया।

आज अगर कुरैश के सरदारों को कुछ बोलने की ताकत हो तो मुसलमानों को सम्बोधित करके वे यह कह सकते हैं कि तुम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो और जिन चीज़ों को तुमने अपनी ज़िन्दगी का मक्सद समझ रखा है, इन्हीं चीज़ों को हम गुनाहगारों ने तुम्हारे पैग्म्बर (स0अ0) के सामने पेश किया था। वह तमाम चीज़ें उस वक्त खून का एक क़तरा बहाये बिना हासिल हो सकती थीं। तो क्या सारी जद्दोजहद का हासिल और इन तमाम कुर्बानियों की कीमत ज़िन्दगी गुज़ारने का वह तरीका है जिसको तुमने अपनाया है और ज़िन्दगी व अख़लाक की वही सतह है जिस पर तुमने सन्तोष कर लिया है। अगर कुरैश के उन सरदारों में से जो इस्लाम के दुश्मन थे से किसी को जिरह करने का मौक़ा मिले तो आज हमारा कोई बड़े से बड़ा लायक वकील भी इसका सन्तुष्ट करने वाला व सकारात्मक जवाब नहीं दे सकता और उम्मत के लिये इस पर शर्मिन्दा होने के सिवा कोई चारा नहीं। रसूलुल्लाह (स0अ0) को मुसलमानों के बारे में यही ख़तरा था कि वे दुनिया में पड़कर अपना मक्सद न भूल जाएं और दुनिया की आम सतह पर न आ जाएं। आप (स0अ0) ने वफ़ात (मृत्यु) के क़रीब जो तक़रीर फ़रमायी उसमें मुसलमानों को सम्बोधित करके कहा:

“मुझे तुम्हारे बारे में ग़रीबी व भूख का ख़तरा नहीं, मुझे तो इसका ख़तरा है कि कहीं दुनिया में तुमको भी वही कशीश न हासिल हो जाए जैसी तुमसे पहले लोगों को हासिल हुई। तो तुम भी इस तरह इसमें लालच व मुक़ाबले करो, जैसे उन्होंने किया तो तुमको भी उसी तरह हलाक कर दे, जैसे उनको हलाक किया।”

मदीना के अन्सारियों ने जब इस बात का इरादा किया कि जिहाद की व्यस्तता और इस्लाम की जद्दोजहद से कुछ दिनों की फुरसत लेकर अपने बाग़ो—खेतों और कारोबार को दुरुस्त कर लें और कुछ मुददत के लिये सिर्फ़ अपने कारोबार में लगने की इजाज़त हासिल कर लें। .....(शेष पेज 7 पर)

# ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੈਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ

## ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਈਦ ਮੁਹਮਦ ਰਾਬੇ ਹਸਨੀ ਨਦਰੀ

ਅਲਕੁਰਆਨ: "ਔਰ ਦਾਊਦ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋ ਦੇਖੋ ਜਬ ਵੇ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੌਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਜਿਸਮੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗਾਂ ਕੀ ਬਕਾਰਿਆਂ ਫੈਲ ਗੰਡੀਆਂ ਔਰ ਹਮ ਉਨਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਉਸ (ਮਾਮਲੇ) ਕੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋ ਸਮਝਾ ਦਿਯਾ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਔਰ ਇਲਮ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਦਾਊਦ ਕੇ ਸਾਥ ਪਹਾੜਾਂ ਕੋ ਉਨਕੇ ਵਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਦਿਯਾ ਔਰ ਪਰਿਨਦੇ (ਉਨਕੇ ਸਾਥ) ਤਸ਼ਬੀਹ (ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕਾ ਵਰਣ) ਕਰਤੇ ਥੇ ਔਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਮ ਹੀ ਥੇ ਔਰ ਹਮ ਹੀ ਨੇ ਉਨਮੋਂ ਜ਼ਿਰਹ (ਕਵਚ) ਬਨਾਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੀ ਥੀ ਤਾਕਿ ਵਹ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜਾਂਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਤੁਮਹਾਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਤੁਮ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੇ ਲਿਧੇ ਹਮਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕੋ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਯਾ ਔਰ ਉਨਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਉਨਕੋ ਲੇਕਰ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਜਿਸਮੋਂ ਹਮਨੇ ਬਰਕਤ ਰਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਹਮ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ (ਪਰਿਚਿਤ) ਹੈਂ, ਔਰ (ਹਮਨੇ ਉਨਕੇ ਲਿਧੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਯਾ) ਐਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਕੋ ਜੋ ਉਨਕੇ ਲਿਧੇ ਗੋਤਾ ਲਗਾਤੇ ਥੇ ਔਰ ਐਸੇ ਅਮਲ ਕਰਤੇ ਥੇ ਜੋ ਉਨਕੇ ਲਿਧੇ ਉਸਾਂ ਕਮ ਯਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਥੇ, ਔਰ ਹਮ ਹੀ ਉਨਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ।" (ਸੂਰਾ ਅਮ्बਿਆ: 78–82)

ਇਨ ਆਧਿਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਕਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਿਵਾਰਿਆਂ (ਸਾਂਦੇ਷ਟਾਓਂ) ਕੀ ਅਲਗ–ਅਲਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਕੋ ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਭੀ ਹੋਨੇ ਕੇ ਸਾਥ–ਸਾਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀ ਬਨਾਯਾ ਥਾ। ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਉਨਕੋ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀ ਯੋਗਯਤਾ ਭੀ ਦੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝ ਭੀ ਦੀ ਥੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਿਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਵਿਕਿਤ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੇ ਪਾਸ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੇਕਰ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰਹ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ

ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹ ਕਿਨ੊ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਯਹ ਹਮੋਂ ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਤ: ਜਬ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਿ ਤੁਮ ਕੈਂਸੇ ਆਇਆ? ਉਸਨੇ ਕਹਾ: ਹਮ ਅਪਨੀ ਏਕ ਸਮਸਥਾ ਲਾਏ ਹੈਂ, ਉਸਕੋ ਹਲ ਕੀਂਜਿਏ। ਸਮਸਥਾ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਖੇਤੀਆਂ ਥੀਂ ਔਰ ਖੇਤੀਆਂ ਕੋ ਕੁਛ ਲੋਗਾਂ ਕੀ ਬਕਾਰਿਆਂ ਚਰ ਗਈਆਂ। ਅਥਵਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਨਿਰਣ ਕਿਯਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਉਨ ਬਕਾਰਿਆਂ ਕਾ ਫਾਯਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਕਾਰਿਆਂ ਤੁਮਹਾਰੀ ਹੋਂਗੀ ਅਰਥਾਤ ਯਦਿ ਬਕਾਰਿਆਂ ਕਾ ਮੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਡੀ ਖੇਤੀ ਕੇ ਮੂਲਾਂ ਕੇ ਬਾਰਾਬਰ ਪਡਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਤੁਮਕੋ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇ ਬਦਲੇ ਬਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਏਂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮਹਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਿਨ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਭੀ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਅਤ: ਜਬ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਯਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾ, ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਸਮੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿਯਾ ਔਰ ਵਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁਆ। ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ ਮੌਜੂਦ ਘਟਨਾ ਕਾ ਵਰਣਨ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸੀ ਬਦਲਾਵ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਯਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਉਨ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਕੈਂਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਥੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ ਕਿ ਵਹ ਬਕਾਰਿਆਂ ਉਨ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬ ਕੋ ਦੇ ਦੀ ਜਾਏਂ, ਜਿਸਕੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇ ਉਸਕੇ ਦੂਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਫਾਯਦਾ ਉਠਾਏਂ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ ਜਬ ਵਹ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਕਾਰਿਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਂ। ਅਰਥਾਤ ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਸੇ ਬਕਾਰਿਆਂ ਕਾ ਸ਼ਵਾਮੀ ਨ ਬਨਾਯਾ ਜਾਏ। ਬਲਿਕ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਧੇ ਦੀ ਜਾਏਂ, ਤਾਕਿ ਵਹ ਉਨਸੇ ਫਾਯਦਾ ਉਠਾਏ ਔਰ ਜਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀ ਜਾਏਂ। ਅਲਲਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੇਮਾਨ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਕਾ ਯਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਕਿਯਾ ਔਰ ਕੁਰਆਨ ਮਜੀਦ ਮੌਜੂਦ ਇਸਕਾ ਵਰਣਨ ਕਿਯਾ।

ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ

यह समस्या सुलझाई थी, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि वह आदमी उनके घर में यूं ही घुस आया और अपने समस्या को पेश करने लगा। इस पर उन्होंने घर से नहीं निकाला यही क्या कम बात है। उनको इस बात का हक् था कि वे कहते कि अदालत में आकर अपना समस्या बताना, लेकिन यह उनके धैर्य की बात थी कि उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया।

हज़रत दाऊद व सुलेमान (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह तआला ने हाकिम व बादशाह बनाया था। उनके पास तरह-तरह के मुक़द्दमे आते थे, जिनमें वे फैसला देते थे और अल्लाह तआला के आदेशानुसार अपनी जिम्मेदारी को पूरे एहसास के साथ अदा करते थे। इन आयतों से समझा जा सकता है कि नवियों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसी-कैसी योग्यताओं का प्रमाण देना पड़ता है। अर्थात् इसमें हर व्यक्ति के लिये एक संदेश है कि तुम नबी को कोई साधारण व्यक्ति न समझो। अल्लाह तआला इस बात की भी शक्ति रखता है कि वह फ़रिश्ता भेज देता और वह अपनी सलाहियत से यह सब काम कर लेता। उसके लिये इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नबी इन्सान ही होता है। इसलिए उसको अपनी अक़ल भी लगानी पड़ती है। अपनी समझ भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और लोगों के मामलों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुश्किलों को झेलना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना पड़ता है। पता चला कि नबी के बारे में यह न समझा जाए कि उसको बहुत आराम मिलता है, बल्कि उसको बड़ी परेशानी और समझदारी से गुज़रना पड़ता है।

हज़रत दाऊद व सुलेमान (अलैहिस्सलाम) की घटना में यह बात विशेष रूप से वर्णित की गयी कि जब दोनों उस खेती के बारे में फैसला दे रहे थे, जिसमें दूसरे लोगों की बकरियां फैल गयी थीं, उस समय उनके फैसले को हम देख रहे थे कि वे लोग क्या फैसला देते हैं। यानि यह कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा नहीं है जैसा कि कोई आदमी फैसला सुन लेता है, बल्कि यह सब हमारी निगरानी में हो रहा था और हम देख रहे थे

कि यह लोग उसको किस तरह डील करते हैं।

यहां एक बात गौर करने की यह भी है कि उसे अल्लाह तआला अपनी ही ओर संबंधित कर रहा है कि हज़रत सुलेमान ने जो फैसला दिया है यह हमने उनको सलाहियत दी और उनको सुझाया। इसके बाद अपनी ही ओर दोनों को संबंधित करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि दाऊद उनसे समझदारी व फैसले में कम थे, बल्कि दोनों को हमने समझदारी भी दी व इल्म भी दिया। यानि उनमें से किसी के अन्दर कमी नहीं है। बल्कि दोनों ही बहुत समझदार थे। सूझबूझ वाले लोग थे और जानकार थे। बस अपनी-अपनी सोच के अनुसार उन्होंने फैसला किया। हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) ने इसका वह हल मुनासिब समझा जिसको ऊपर बयान किया गया है, और हज़रत सुलेमान (अलैहिस्सलाम) को उससे ज़्यादा बेहतर बात अल्लाह ने सुझा दी। तो उन्होंने उसका वह हल पेश किया। लेकिन हज़रत सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने जो कुछ भी किया उसका संबंध अल्लाह तआला ने अपनी ही तरफ़ किया और सिर्फ़ यही बात नहीं बल्कि कहा कि हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) को हमने और योग्यताएं भी दी थीं, यानि सिर्फ़ यही फैसले की कोई एक बात नहीं है, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गये। अपितु बताया कि हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) को हमने ऐसा कर दिया कि पहाड़ और परिन्दे सब उनके साथ अल्लाह की प्रशंसा करते थे।

कुरआन मजीद में कहा गया है कि इस कायनात (सृष्टि) में जो भी है अल्लाह का ज़िक्र (जाप) करता है। लेकिन तुम उसकी ज़बान को नहीं समझते। पहाड़, परिन्दे सब अल्लाह को याद करते हैं। सबकी नमाज़ व इबादतों की शक्लें ऐसी हैं कि उनको इन्सान समझ नहीं पाता। लेकिन बात यह है कि सब अल्लाह की याद में है। अतः कहा गया कि हमने दाऊद को ऐसी समझ दी थी कि पहाड़ जो ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की जो प्रशंसा करते हैं, वह उसको समझते थे और उनके साथ पहाड़ व परिन्दे सब ही अल्लाह की प्रशंसा किया करते थे।

उन सब चीज़ों के करने और किसी इन्सान को ऐसी

योग्यताएं देने की हिकमत (तत्त्वदर्शिता) का वर्णन करते हुए कहा गया कि यह सब कुछ हम ही करते हैं और हमारे ही करने से हो रहा है। अर्थात् हम ही ने हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) में यह योग्यताएं पैदा कर दीं कि वे पहाड़ की तस्बीह (ईश्वर की पवित्रता का वर्णन) समझ रहे थे और परिन्दों की तस्बीह भी सुनते थे। जबकि इन्सान नहीं समझता कि परिन्दे अल्लाह को कैसे याद करते हैं। पहाड़ किस तरह अल्लाह को याद करता है। हमें तो बस बताया गया है इसलिए हम मानते हैं। लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं है। अलबत्ता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने यह विशेषता दी थी कि वे समझते थे। इसके साथ और यह भी हुआ कि उनमें ज़िरह (कवच) बनाने की योग्यता भी पैदा कर दी थी। उनके हाथ में लोहा नर्म हो जाता था और वे उसमें इस तरह फेर-बदल करते थे जैसे आदमी किसी नर्म चीज़ में करता है। अतः वे लोहे की ज़िरह (कवच) बनाते थे। जो ज़िरह जंग में हमला रोकने के लिये पहनी जाती है। अर्थात् अल्लाह तआला ने यह बता दिया कि हमने इस तरह से इन्सानों को ज़िरह का सिलसिला अता किया और हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) को इसका ज़रिया बनाया कि वह लोहे को आसानी से मोड़कर ज़िरह बनाते थे। इसीलिए इस चीज़ को इस प्रकार बयान किया गया कि हमने तुम्हारे लिये उनको लिबास की कारीगरी सिखा दी ताकि वह ज़िरह तुम्हारी हिफ़ाज़त कर सके। तुम्हारे आपस में ताक़त का जो टकराव होता है, तुम जो तलवार व भाले चलाते हो, तो अब तुम उस ज़िरह से जंग के मैदान में अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हो।

हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) की विशेषता के साथ हज़रत सुलेमान (अलैहिस्सलाम) की विशेषता का भी वर्णन किया गया कि अल्लाह ने उनके लिये हवा को उनके अधीन कर दिया था कि हवा उनको और उनके तख़्ता को लेकर आसानी से जहां चाहे पहुंचा देती थी। इसी तरह जिन्नात पर भी उनको हुक्मरानी दी थी। वे उनके हुक्म को रद्द नहीं कर सकते थे। मगर यह सब अल्लाह के करने से ही हुआ।

**शेष: रसूलुल्लाह (स०अ०) की सीरत का पैग़ाम .....**

यह ख़तरा भी उनके दिल में नहीं गुज़र सकता था कि वे दीन के कामों (नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात) से भी कुछ दिनों के लिये अपने कारोबार की देख-भाल के लिये अपने आप को अलग कर लें। लेकिन इस्लाम की अमली जद्दोजहद और दीन के बढ़ावे और उसके वर्चस्व की कोशिश से उनकी इस अस्थायी एकाग्रता को भी खुदकशी के बराबर कहा गया और सूरह बक़रा की यह आयत नाज़िल हुई, जिसकी तफ़सीर (व्याख्या) हज़रत अबू अयूब अन्सारी (रज़ि०) ने इस तरह की है: “अल्लाह के रास्ते पर खर्च करो और अपने हाथों मुसीबत में न पड़ो और अच्छी तरह काम करो। बेशक अल्लाह तआला अच्छे काम करने वालों को दोस्त रखता है।”

मुसलमान की ज़िन्दगी की अस्ती बनावट यही है कि या तो इस्लाम की दावत और अमली जद्दोजहद में लगा हो या उस दावत व अमली जद्दोजहद में लगे होने वालों के लिये सहयोगी व मददगार हो। उसके साथ भी अमली जद्दोजहद में हिस्सा लेने का इरादा व शौक रखता हो। संतुष्ट नागरिक और केवल कारोबारी जीवन इस्लामी ज़िन्दगी नहीं और किसी तरह भी यह एक मुसलमान की ज़िन्दगी का मक़सद नहीं हो सकता है। ज़िन्दगी गुज़ारने के जायज़ कामकाज, कमाई के जायज़ साधन बिल्कुल भी नहीं बल्कि नियत और सवाब की तलब के साथ इबादत और अल्लाह से क़रीब होने का ज़रिया है मगर उस वक़्त जब यह सब दीन के साये में हो और सही उद्देश्यों का माध्यम हों न कि खुद की ज़ात लक्ष्य हो।

सीरत-ए-मुहम्मदी (स०अ०) का यह सबसे बड़ा पैग़ाम है जो केवल मुसलमानों के नाम है। उसकी तरफ़ ध्यान न देना। उसके मक़सद को ख़त्म करना और सबसे बड़ी हकीक़त की तरफ़ से नज़रें चुराना है जो रसूलुल्लाह (स०अ०) की सीरत (चरित्र व आचरण) मुसलमानों के सामने पेश करती है।

# तक़वा और पर्खेजूपारी

मौलाना अब्दुल्लाह हुसनी नदवी रह०

तक़वा (अल्लाह का ख़ौफ) का शब्द आमतौर पर बोला भी जाता है और समझा भी जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि तक़वा (निग्रह-संयम) शब्द अपने अन्दर एक समन्दर लिये हुए है जिसको थोड़ा—बहुत भी समझ लेने से आदमी मुत्तकी (संयमी) बन जाता है और अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा और सम्मानित होता है। और जब अल्लाह के नज़दीक वह इज्जत वाला होता है तो लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत बैठ जाती है और उसके प्रति प्यार व सम्मान लोगों के दिलों में रख दिया जाता है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वह इज्जत वाला होता है। वास्तव में तक़वा का संबंध दिल से है। इसीलिए आप (स030) ने एक बार सीने की तरफ इशारा करके फरमाया तक़वा का संबंध दिल से है। अर्थात् यह दिल का काम है और दिल ही अस्ल है। क्योंकि अगर दिल संवर जाए तो सारा शरीर संवर जाता है और एक शरीर संवर जाए तो कई शरीर संवर जाते हैं और जब कई शरीर संवर जाए तो मुहल्ला संवर जाता है और अगर मुहल्ला संवर जाए तो शहर संवर जाता है और अगर शहर संवर जाए तो देश संवर जाता है और इस तरह पूरी दुनिया में बहार आ जाती है। लेकिन मामला दिल ही से चलता है। अगर इन्सान का दिल व दिमाग़ ठीक हो जाए तो शरीर के सारे अंग अपनेआप ठीक हो जाते हैं। तक़वा के अन्दर यह ध्यान रहे कि इन्सान को कुछ कामों की वजह से अपने आप को तक़वे वाला समझना बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी है। इसी तरह किसी शख्स के कामों को देखकर उसको तक़वे वाला होने का दर्जा दे देना भी किसी तहर से सही नहीं है, क्योंकि कौन शख्स तक़वे वाला है या कौन शख्स तक़वे वाला नहीं है यह अल्लाह ही समझ सकता है। इस वजह से

किसी के लिये भी यह जायज़ नहीं है कि वह किसी को कमतर समझे या तुच्छ समझे। दोनों बातें ही ग़लत हैं। इसीलिए जो अल्लाह वाले होते हैं वह मामूली से मामूली इन्सान को भी कमतर नहीं समझते और उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हज़रत मौलाना अली मिया नदवी (रह०) ने अपनी पूरी ज़िन्दगी कभी किसी इन्सान के आगे पैर नहीं फैलाये। यहां तक कि घर के लोग या उनके सेवक भी अगर मौजूद होते थे तो आप उनके सामने पैर नहीं फैलाते थे। क्योंकि वे जानते थे कि यह इन्सान है और केवल इन्सान होने के कारण ही ऊंचे मकाम वाला भी है। इसलिए मेरी क्या मजाल कि मैं अपने पैर फैलाऊं। जिसकी एक वजह यह भी है कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनके सामने उनके गुनाह इस तरह रहते हैं या उनकी वे बातें होती हैं जिनको वे कमज़ोरिया समझ रहे हैं कि वे दूसरे के ऐबों को देखने के रवादार ही नहीं होते। इसलिए जब किसी पर नज़र डालते हैं तो उनकी नज़र शफ़्क़त, मसलहत से भरी हुई तथा फ़ितरी होती है और बक़द्रे ज़रुरत लोगों के मर्ज़ को देखकर इलाज करते हैं। लिहाज़ा जिस तरह डॉक्टर यह ख्याल नहीं करता कि मेरे पास आने वाला मरीज़ कमतर है या बेहतर, उसी तरह एक अल्लाह वाला भी किसी को बुरा नहीं समझता। बस यह सोचता है कि अल्लाह ने मुझे सुधार करने का तरीक़ा दिया है। इसलिए सुधार कर रहा हूं। यह नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं और यह कमतर और तुच्छ प्राणी है।

तक़वा का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि जो इन्सान भी उसको अपनाता है तो उसके अन्दर अल्लाह एक चमक पैदा कर देता है। जिसको कुरआन में बताया गया है। यानि अल्लाह तआला तुम्हारे अन्दर एक ऐसी चीज़ पैदा कर देगा जिससे श्रेष्ठता पैदा हो जाएगी। यानि ऐसा शख्स लोगों में श्रेष्ठ मालूम होगा। उसकी चाल-ढाल, उसका बातचीत का तरीक़ा, उसके आचार-व्यवहार अर्थात् उसकी हर-हर अदा दूसरों से जुदा होगी। इसीलिए जो अल्लाह के नेक बन्दे होते हैं उनकी बात के अन्दाज़

ही से यह मालूम होता है कि वे कुछ और ही हैं। इसीलिए जब आदमी तक़वे वाला हो जाता है तो उसके शब्द भी अलग हो जाते हैं। जिसकी वजह से अल्लाह तआला उसे माफ़ कर देता है।

तक़वा का संबंध दिल से है इसलिए वास्तव में तक़वा नाम है नेकी का और नेकी नाम है ऐसे काम का जिस पर दिल संतुष्ट हो और जिसको करने के बाद इन्सान को अन्दर से इत्मिनान हासिल होता हो क्योंकि गुनाह की ख़ासियत ही यह है कि दिल में खटके और उसको लोगों को दिखाने से वह उनको यानि इन्सान के दिल में खटक हो कि कुछ गड़बड़ है और वह इन्सान उस गुनाह को लोगों के सामने दिखाने से घबराये। क्योंकि आदमी जब अच्छा और नेक काम करता है तो यह चाहता है कि सब देखें और अगर बुरा काम करता है तो यह चाहता है कि उसको कोई न देखे। इसलिए तक़वा का मतलब यह है कि आदमी इत्मिनान से काम करता चला जाये। वास्तव में यह अरबी का शब्द है जिसके माने हैं बचने के। यानि अपने बचाव व एहतियात के उपाय अपनाने करने का नाम तक़वा है। जिसके सैंकड़े दर्जे हैं। अल्लाह तआला ने उसके अन्दर ऐसी असाधारण क्षमता रखी है कि आदमी उसके ज़रिये से तरक्की करता चला जाता है। अर्थात् तक़वा तरक्की का ज़ीना है और बलन्दियों की लिफ्ट है। लिहाज़ा अगर कोई तरक्की करना चाहता है तो तक़वा के ज़ीने पर चढ़ना होगा और बलन्दियों की सीढ़ियों को तय करना होगा और उसका पहला ज़ीना यह है कि इन्सान अपने को शिर्क (बहुदेववाद) से सुरक्षित रखे। क्योंकि सारी मंज़िलें इसी पर कायम हैं और उसके बाद तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करे। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो कुरआन में उसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह तआला उसके लिये रास्ता निकाल देगा। यानि जो बचना चाहेगा उसके लिये रास्ता निकल आयेगा। जैसे हिन्दुस्तान जो कि दुनिया में शिर्क का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहां शिर्क की आंधियां चल रही हैं ऐसे में यदि कोई बचना

चाहे तो अल्लाह उसके लिये रास्ता निकाल देगा क्योंकि यही वह क्रम है जो तक़वा को अपनाने के लिये सबसे पहला और आखिरी व प्रभावपूर्ण साधन है। नम्बर दो यह है कि अगर कोई इन्सान गुनाहों से बचना चाहेगा तो अल्लाह तआला उसके लिये गुनाहों से बचने का रास्ता भी निकाल देगा यानि अगर इन्सान यह चाहता है कि उसका दिल अन्दर से अच्छा हो जाए तो वह अल्लाह से डरने वाला बन जाएगा। इसी तरह इन्सान को शंकाओं से बचने की भी कोशिश करनी चाहिये और अगर कोई शंकाओं से बचेगा तो अल्लाह तआला उसका रास्ता भी आसान कर देगा। इसी तरह अगर कोई हराम कमाई से बचना चाहेगा तो अल्लाह उसके लिये हलाल कमाई के रास्ते भी खोल देगा लेकिन अगर कोई नियत ही न करे तो उक्से लिये बचना मुमकिन नहीं।

इन्सान का शिर्क से और बड़े गुनाहों से बचने का मतलब यह है कि अगर इन्सान से ग़लती हो जाए तो फौरन तौबा कर ले। वरना इन्सान तक़वा से निकल जाएगा। इसीलिए मोमिन तौबा के बगैर रह ही नहीं सकता है। लिहाज़ा जब इन्सान तौबा करता है तो वह तक़वा के दायरे में दाखिल हो जाता है। तौबा करते रहना चाहिये फिर छोटे गुनाहों से बचना चाहिये और बुरे ख्यालों व बुरी भावनाओं से भी बचना चाहिये। मुबाहात से भी बचना चाहिये क्योंकि यह चीज़ें इमरजेंसी डोर विन्डो की तरह होती हैं, जिनको आम तौर पर नहीं खोला जाता बल्कि इमरजेंसी पड़ने पर ही खोला जाता है। ऐसे ही इस्लाम में जो दुरुस्त चीज़ें हैं उनका भी यही दर्जा है। उनको उस वक्त खोला जाता है जब अस्ली दरवाज़ा बन्द हो जाए और अगर उस वक्त न खोला जाए तो वह उसी में मर जाएगा। लिहाज़ा “मुबाह” अमल के लिये न ही इमरजेंसी के लिये जैसे कि तलाक का मामला है जो कि बिल्कुल आखिरी चरण में इस्तेमाल की इजाज़त दी जाने वाली चीज़ है। सारांश यह कि तक़वा यह है कि आदमी अपने आम को बुराई व गुनाहों से बचाता रहे।

# एकैश्वरवाद छया है?

बिलाल अब्दुल हसनी नदवी

धर्म के प्रचार का प्रभावपूर्ण तरीकः धर्म के प्रचार की राह का खुला दरवाज़ा यह है कि आदमी कहीं पर भी बात करने जाए तो सबसे पहले यह कोशिश करे कि उन लोगों के स्वभाव को समझे। वे किस समुदाय अथवा कौम से संबंध रखते हैं। उनके तौर-तरीके क्या हैं। उनकी क्या ख़ासियत हैं। उसको समझ ले उसके बाद जब आदमी जाकर बात करे तो उन बातों का ध्यान रखे और जो चीज़ों उनकी ज़रा भी भलाई और ख़ैर की हों पहले उन चीज़ों का बयान करे ताकि वे लोग आकर्षित हो जाएं। वह यह समझे कि वे हमारी ख़ूबियों से परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि यह हमें नहीं जानतें। फिर दूसरी बात यह कि जिनको सम्बोधित किया जा रहा है उनसे संबंध प्रकट किया जाए अगर ज़रा भी कोई संबंध प्रचारक का सम्बोधित लोगों से हो तो उस रिश्ते को ज़रूर बयान करे कि आप से तो हमारा बड़ा गहरा संबंध है। आप तो हमारे देश के हैं। हमारे इलाके के रहने वाले हैं। हमारी कौम के हैं। अर्थात् जो भी रिश्तों हो सके उसको प्रकट करें क्योंकि उससे अपनाइयत पैदा हो जाती है और उसका फ़ायदा यह होता है कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है फिर प्रचार का काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो बड़ी कठिनाइयां आएंगी। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसका यह नुक़सान है कि आप जो आगे भलाई की बात करने वाले हैं आदमी उसको स्वीकार नहीं करेगा और अजनबी समझेगा और ऐसी स्थिति में बात प्रभावपूर्ण नहीं होगी। तो जो धर्मप्रचार का काम करने वाला हो वह कहीं भी काम करे उसके लिये ज़रूरी है कि इन पहलुओं को मद्देनज़र रखे। अल्लाह के रसूल (स0अ0) के पूरे जीवन में एक दो नहीं हज़ारों मिसालें इस तरह की मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने किस तरह दावत दी। रसूलुल्लाह (स0अ0) ने लोगों को जिस तरह समझाया यह मिसालें हमारे सामने हैं और उपरोक्त हदीस में भी हमें बड़ी हिक्मत की बातें मालूम होती हैं कि तरबियत व तदरीज अखित्यार की जाये और बेहतर तरीक़ा भी अखित्यार किया जाये। यही कुरआन मजीद की भी शिक्षा है।

दावत-ए-तौहीद (एकेश्वरवाद) की हिक्मतः उपरोक्त हदीस में रसूलुल्लाह (स0अ0) ने हज़रत मआज़ से फ़रमाया कि सबसे पहले अहल-ए-किताब को तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत देना। दुनिया दावते तौहीद पर गौर किया जाये तो अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) एक तो जो तरबियत है उसके लिहाज़ से फ़रमा रहे हैं। इसलिए कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ यही है। दूसरी बात यह है कि यह एक मुश्तरिक प्वाइंट है जिस पर जमे होने की दावत दी जा रही है। पिछली लाइनों में इस सिलसिले की कुरानी आयत गुज़र चुकी है। जिसमें यहूदियों व ईसाईयों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी गयी है। कहा गया है:

“आप कह दीजिए कि ऐ अहल-ए-किताब (यहूदी व ईसाई)! ऐसी बात की तरफ़ आ जाओ जो हममें तुममें बराबर है (वह यह है कि) हम सिर्फ़ अल्लाह की बन्दगी करें और उसके साथ कुछ भी शरीक न करें और हममें से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब न बना लें फिर अगर वे न मानें तो तुम कह दो कि तुम लोग गवाह रहना कि हम तो हुक्म के अधीन हैं।”

अगर इस आयत को आप सामने रखें तो और ज़्यादा हकीकत खुल जाएगी कि रसूलुल्लाह (स0अ0) को सबसे पहले चरण में ही तौहीद की दावत देने की जो बात कह रहे हैं वह इसलिए कि वे इस बात के किसी न किसी दर्ज में कायल थे। या यूं कह सकते हैं कि इस बात का इनको दावा था कि हम तौहीद के मानने वाले हैं। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। जब इस बात को उनको दावा है तो मानो यह मुनासिबत की वजह है। यह वह इश्तराक है कि जब आप उसका तज़किरा करेंगे तो उनके अन्दर एक जिज्ञासा व ख़्याल पैदा होगा और यह चीज़ उनके ज़हन में आयेगी कि यह लोग भी कोई अलग नहीं हैं। यह वही बात कह रहे हैं जिसके हम कायल हैं। अलबत्ता वे किस हद तक मानते हैं। उसकी तफ़सील क्या है। वह एक अलग मामला है। लेकिन जब उनके सामने तौहीद का

नाम आयेगा तो यह उनको प्रभावित करने का एक कारण बन जायेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह (स0अ0) ने फ़रमाया कि सबसे पहले तौहीद की दावत दो। मानों यहां तदरीजी और तरतीबी मरहला यही था और हिक्मत भी इसी में थी कि वे लोग (अहले किताब) तौहीद के मानने वाले थे तो उनसे तौहीद की बात सबसे पहले कही जाये। जब आप तौहीद की बात कहेंगे तो वे इस बात को स्वीकार करेंगे।

**सम्बोधनकर्ताओं की रिआयत:** अगर आप ऐसे लोगों को दावत देने जा रहे हैं जैसे हमारे यहां हमारे देशवासी हैं आप पहले चरण में ही जाइए और उनसे कहिये की अल्लाह को मानो, सब बुतों को तोड़ दो यह शिर्क तुम्हे जहन्नम तक पहुंचा देगा। तो हो सकता है कि एक प्रतिक्रिया पैदा हो और पहले ही चरण में वह बात सुनने से इन्कार कर दें बल्कि यहां हो सकता है आप को और लम्बा क्रम अपनाना पढ़ जाए तो तौहीद से कोसो दूर है और शिर्क में डूबे हुए हैं। यहां पहले चरण में अगर आप तौहीद की दावत दे देंगे तो हो सकता है कि वे बिदक जाएं। लिहाज़ा आप यहां पहले इन्सानियत की बात कहें, वह समान क़द्रें जो उनमें हैं और आप में हैं उनका ज़िक्र करें जब उनका ज़िक्र होगा तो उनके दिल व दिमाग़ खुलेंगे यहां यह खुला दरवाज़ा है जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप अन्दर जायेंगे फिर आप उनको बताएं कि तौहीद व रिसालत क्या है और तफ़सील क्या हैं? लेकिन आप जो यहां पहला चरण अपनाएंगे उसमें उसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बात उनके लिये मानूस हो पहले चरण में वह बात की जाये।

तदरीजी मरहले में यह ज़रूरी है कि सबसे पहले वह बात कही जाये जिससे सामने वाले प्रभावित हों। फिर जो अहम बात है वह पहले कही जाये। ज़ाहिर है कि तौहीद से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। लेकिन यहां इसका लिहाज़ रखना होगा कि अगर पहले क्रम में तौहीद की बात करने से सामने वाले बिदकते हों तो उनके लिये बेहतर यही है कि क्रम में वह चीज़ अखिल्यार की जाये जो उनके लिये मानूस कुन हो। जब वह चीज़ अपना लेंगे तो जो अहम चीज़ है उनके लिये उसका कुबूल करना आसान होगा और अगर आप सोचेंगे कि सबसे अहम यही है उसको हम पहले बयान कर दें तो हो सकता है कि यह चीज़ उनके लिये सदे राह बन जाये और आगे आपको बात करना मुश्किल हो।

**हिक्मत की अहमियत:** ऊपर की हदीस में रसूलुल्लाह (स0अ0) ने बहुत हकीमाना बातें इरशाद फ़रमा दीं।

फ़रमाया कि तौहीद की दावत देना फिर जब वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें और बहुत अच्छी तरह जान लें तब उनसे बताना कि अल्लाह तआला ने उन पर पांच वक्त की नमाज़ें भी फ़र्ज़ की हैं। मालूम हुआ कि तौहीद का कायल होने के बाद फ़ौरन सभी आदेश नहीं सुनाना है। अगर किसी ने कलिमा पढ़ लिया फिर उससे पहले ही यह कहा जाये कि देखो एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। पांच वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। साहिब-ए-निसाब पर साल में ज़कात फ़र्ज़ है। साहिब-ए-हैसियत पर उम्र में एक बार हज फ़र्ज़ है तो वह सोचेगा कि क्या-क्या फ़र्ज़ है, हम क्या-क्या करेंगे। नतीजा यह होगा कि वह दीन को बोझिल समझकर उससे बदलिल हो जायेगा। मूलम हुआ इस तरह के दावत के अन्दाज़ से तबियत बिगड़ जाती है। मुनासिब यह है कि आप उसको हिक्मत से बात समझाएं। पहले मरहले में सारी बात न कहें। बहुत से लोग कहते हैं कि जब कलिमा पढ़ लिया तो नाम बदलना फ़ौरन ज़रूरी है। जब नाम ही नहीं बदला तो यह कैसे मुसलमान हुआ। हालांकि यह बात तरबियत के खिलाफ़ है और दावत के काम में बहरहाल तरबियत को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने इस हदीस में साफ़ किया है। क्रमवार आदमी किसी को बात समझाता है तो बात उसके दिल में उतरती है। वह बात को समझता है। अगर एकदम से सब चीज़ लाद दीजिए तो जो खुला रास्ता है वह भी बन्द हो जाएगा। कोई चीज़ भी अन्दर न जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ डाली जाए तो अगर छोटा सुराख़ भी है तब भी काम हो जाएगा।

**वांछित क्या है:** उपरोक्त हदीस में तौहीद की दावत के बाद रसूलुल्लाह (स0अ0) ने नमाज़ का जो ज़िक्र किया उसका मतलब यह नहीं है कि नमाज़ सिखाकर फ़ारिग़ हो गये बल्कि उसके बाद और भी चीज़ें हैं। नमाज़ के बाद रोज़ा बताया जाये। फिर ज़कात और हज को बताया जाये। फिर और मामलात सिखाएं जायें। क्योंकि दीन पूरी ज़िन्दगी का नाम है। लिहाज़ ज़िन्दगी का जो भी तरीका है वह तरीका बताया जायेगा। हदीस का यह मतलब नहीं है कि यह दो चीज़ें बता देना काफ़ी है बल्कि या मिसाल के तौर पर दो बातें फ़रमायी गयीं और तरतीब व हिक्मत सिखाने के लिये इन दो चीज़ों का ज़िक्र है वरना मुराद यह है कि इसी क्रम के साथ हिक्मत व दर्जों का ख्याल करते हुए एक-एक चीज़ बतायी जाये ताकि लोग उससे प्रभावित हो जाएं और मुकम्मल दीन उनके अन्दर पैदा हो जाये।

# मुसाफिर की बाज़ू (भाग ३)

मुफ्ती याहिद हुसैन नदवी

वतन की किस्में: वतन की फुक्हा (धर्मज्ञाताओं) ने दो किस्में बयान की हैं। पहला असली वतन। दूसरा वतन अकामत अर्थात् जहां वह अस्थाई रूप से रहता हो। असली वतन उस जगह को कहा जाता है जहां इन्सान की पैदाइश हो या जहां इन्सान ने शादी की हो और बीवी को वहीं रखे हुए हो या जिस जगह को उसने अपना वतन बना लिया हो और सारी उम्र वहीं रहने का इरादा हो।

अगर कोई शख्स असली वतन में नहीं रहता सिर्फ साल में एक दो बार ही वहां आने का इत्तेफ़ाक होता है लेकिन उसने यह नियत नहीं की है कि अब वह उसका वतन नहीं रहा तो अब भी वह उसका असली वतन रहेगा और वहां पहुंचते ही मुकम्मल नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा। चाहे पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न हो।

इस तरह अगर किसी शहर में शादी की और बीवी को उसी में रखा। खुद वहां हमेशा रहने का इरादा नहीं है तो उस जगह भी पहुंचते ही मुकीम माना जायेगा। चाहे पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न हो।

अगर एक असली वतन हो और एक बस्ती को उसने हमेशा रहने के लिये वतन बना लिया जहां वह बीवी-बच्चों के साथ रहता हो तो अगर असली वतन को हमेशा के लिये अलविदा न कहा हो तो यह दोनों जगहें उसके लिये असली वतन होंगी और दोनों बस्तियों में से जहां भी पहुंचेगा, मुकीम माना जायेगा। इसलिए कि फुक्हा ने साफ़ तौर पर कहा है कि असली वतन दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं।

नौकरी की जगह का हुक्म: आजकल यह बात बहुत ज्यादा पेश आती है कि इन्सान का असली वतन कहीं अलग होता है, फिर वह किसी जगह मुलाजिम (नौकर) हो जाने के कारण वहीं रहना शुरू कर देता है। असली वतन में सिर्फ लम्बी छुट्टियां गुज़ारने आता है तो क्या इस तरह की नौकरी की जगह को असली वतन माना जायेगा? इसका जवाब यह है कि अगर वहां बीवी-बच्चों के

साथ रहता है और ज़ाति मकान भी बना लिया है। इरादा वहीं मुस्तकिल रहने का है तो यह मुकम्मल तौर से असली वतन के हुक्म में हो जायेगा और अगर ज़ाति मकान नहीं बनाया लेकिन बीवी-बच्चों के साथ किराये के मकान या कम्पनी व संस्था के दिये गये मकान में परिवार के साथ रह रहा है तो हुक्म के एतबार से यह जगह भी असली वतन के हुक्म में होगी और वहां पहुंचते ही एहतिमाम शुरू कर देगा। चाहे पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नियत हो।

वतन—ए—अकामत: अगर मुसाफिर किसी शहर या बस्ती में जो अकामत के लायक है पन्द्रह दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नियत करे तो उसको वतन—ए—अकामत कहा जाता है। लेकिन अकामत की नियत उसी वक्त मोतबर होती है जब पांच शर्तें पायी जायें।

1— यह नियत सफ़र ख़त्म करके की हो। वरना अगर सवारी पर चलते—चलते नियत की तो उसका कोई एतबार नहीं है।

2— जिस जगह ठहरने की नियत की हो वहां क़्याम करना मुमकिन भी हो। अतः अगर किसी जंगल, वीराने या समन्दर वगैरह में ठहरने की नियत की तो अकामत का कोई एतबार नहीं होगी और उस नियत के बावजूद उसे मुसाफिर समझा जायेगा।

3— एक बस्ती में पन्द्रह दिन ठहरने की नियत हो। अगर दो बस्तियों में मिलाकर पन्द्रह दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नियत की लेकिन किसी एक जगह भी पन्द्रह दिन का ठहराव नहीं होता है तो वह मुसाफिर ही गिना जाएगा।

4— पन्द्रह दिन ठहरने की नियत हो। उससे कम ठहरने की नियत हो तो मुकीम नहीं होगा। जैसा कि गुज़र चुका है।

5— नियत करने वाला अपनी राय और इरादे में आज़ाद हो। अतः अगर किसी दूसरे शख्स के अधीन है तो उसकी नियत का एतबार नहीं। जैसे बीवी, नौकर वगैरह। इस हालत में अधीनस्थ यानि शौहर और मालिक वगैरह की नियत का एतबार होगा। जो जमाअतें दूसरे शहरों में जाती

हैं वह भी क़्याम करने और सफ़र करने में दूसरे हज़रात की अधीन होती हैं। तो अगर इनमें भी मुकम्मल तौर से ज़िम्मेदारों की बात मानने का इरादा है तो उनकी भी नियत का एतबार नहीं होगा।

असली वतन कब पराया होता है: अपने वतन असली से कूच कर जाये। वहां मुस्तकिल रहने का इरादा ख़त्म कर दे। बीवी—बच्चों को भी वहां से हटा ले तो अब यह जगह उसका वतन—ए—असली बाकी नहीं रहेगी। और अगर वहां परिवार को छोड़ रखा है तो ऊपर गुज़र चुका है कि अब भी वतने असली रहेगी। याद रहे कि वतने असली के एहकाम सिर्फ़ सफ़र करने या किसी जगह को वतने अक़ामत बना लेने से ख़त्म नहीं होते।

वतने अक़ामत कब बातिल होता है: जहां तक वतने अक़ामत का ताल्लुक है तो वह सिर्फ़ सफ़र करने से भी बातिल हो जाता है। अतः अगर किसी जगह पन्द्रह दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक ठहरने की नियत की फिर वहां से मुसाफ़िर सफ़र पर चला गया अब जब सफ़र करेगा तो वतने अक़ामत भी रहेगा। जब दोबारा मज़ीद पन्द्रह दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नियत हो, अगर सफ़र से वापसी में पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नियत हो अब यह वतने अक़ामत नहीं रहेगा और उसे वहां क़स्त करना होगा। इसी तरह वतने अक़ामत वतने असली चले जाने से भी बातिल हो जाता है। इल्ला यह कि लौट कर फिर पन्द्रह दिन ठहरने की नियत की हो और दूसरी जगह को वतने अक़ामत बना लेने से भी बातिल हो जाता है।

दौराने सफ़र असली वतन से गुज़रना: अगर दौराने सफ़र कोई शख्स अपने वतन असली से गुजरे तो शहर में दाखिल होते ही वह मक़ीम हो जाएगा, ख़्वाह वहां से सिर्फ़ गुज़रना हो या किसी काम से दाखिल हो। फिर अब मंज़िले वतन असली से सफ़र की मुसाफ़त पर हो तो वहां से निकलते ही दोबारा मुसाफ़िर हो जायेगा और अगर वतने असली से वह जगह मुसाफ़ते सफ़र से कम पर हो तो अब वहां पहुंचने तक मुक़ीम रहेगा।

दौराने सफ़र वतने अक़ामत से गुज़रना: अगर वतने अक़ामत से मुसाफ़त—ए—सफ़र के लिये निकला लेकिन किसी वजह से फिर वतने अक़ामत से गुज़रना पड़ा तो वतने अक़ामत में वह मुसाफ़िर ही रहेगा। इसलिए कि वतने अक़ामत सफ़र कर लेने से बातिल हो जाता है। अलबत्ता अगर वतने अक़ामत से किसी ज़रूरत से

आस—पास की किसी बस्ती में गया, फिर उस बस्ती से उसका इरादा सफ़र का बन गया लेकिन दरमियान में वतने अक़ामत पड़ेगा और मन्ज़िल वतने अक़ामत से मुसाफ़ते क़स्त पर नहीं है हां उस बस्ती से मुसाफ़ते क़स्त पर है जहां फिलहाल वह मुक़ीम है, तो यह शख्स मुसाफ़िर नहीं बनेगा इसलिए कि वतने अक़ामत सफ़र से बिल्कुल बातिल होता है। और वतने अक़ामत से सफ़र नहीं पाया गया लेकिन अगर मज़कूरा बस्ती से ऐसा रास्ता अखिल्यार किया जिसमें वतने अक़ामत नहीं पड़ता तो वह मुसाफ़िर बन जायेगा। इसी तरह अगर वतने अक़ामत से मंज़िले मुसाफ़त क़स्त पर हो तब भी वह मुसाफ़िर बन जायेगा।

नाबालिग और हाएज़ा के लिये एक ज़रूरी मसला: अगर दौराने सफ़र कोई नाबालिग बालिग हो गया, या कोई हाएज़ा पाक हो गयी तो जिस जगह यह पेश आया है वहां से अगर मंज़िले मक़सूद मुसाफ़त सफ़र पर है तो वे मुसाफ़िर होंगे, लेकिन अगर मंज़िल मुसाफ़त—ए—सफ़र से कम कि मुद्दत सफ़र का एतबार औरत के पाक होने और बच्चे के बालिग होने की जगह से किया जायेगा। उसके विपरीत अगर कोई काफ़िर मुसाफ़ते सफ़र के लिये निकला और फिर रास्ते में मुसलमान हो गया तो वह मुसाफ़िर होगा, चाहे मुसलमान होने की जगह से मंज़िले मुसाफ़त सफ़र पर हो या उससे कम हो।

मुसाफ़िर का भूले से चार रकआत पढ़ लेना: अगर सफ़र की हालत में भूले से चार रकआत पढ़ लें तो अगर दो रकआत के बाद क़ादा कर लिया था तो उसकी नमाज़ कराहियत के साथ हो जायेगी। उसको सज्दा सहू कर लेना चाहिये और आखिर की दो रकआतें नफ़िल बन जायेंगी और अगर दो रकआत के बाद क़ादा नहीं किया तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। इसलिए कि मुसाफ़िर पर दो रकआत के बाद क़ादा फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ छोड़ने वाले की नमाज़ दुरुस्त नहीं हो सकती।

ट्रेन पर नमाज़ का हुक्म: फुक्हा ने सराहत की है कि घोड़े—ऊंट और दूसरे जानवरों पर सिर्फ़ नफ़िल नमाज़ें पढ़ सकता है। इस सूरत में नमाज़ इशारे से पढ़ेगा और रुख़ करने की भी फ़र्जियत साकित हो जायेगी। लेकिन फ़राएज़ के लिये इन जानवरों से उतरना पड़ेगा और बाक़ायदा इस्तक़बाले किल्ला के साथ रुकूअ—सज्दे करते हुए नमाज़ पढ़ेगा। अगर सीधे जानवर पर नहीं बैठा है बल्कि बैलगाड़ी या तांगा .....(शेष पेज 16 पर)

# ਮर्दीना के मुनाफ़िक़ीन

अब्दुस्सुब्छान नाखुदा नदवी

रसूलुल्लाह (स0अ0) के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में मुनाफ़िक़ीन (कपटाचारियों) का तबक़ा पाया जाता था। यह लोग जुबान से ईमान का दावा करते थे लेकिन उनके दिल ईमान से ख़ाली थे। न उनमें ऐसी अख़लाकी जुर्त थी कि खुल्लम—खुल्ला अपने काफ़िर होने का इक़रार करें और न दिल में ऐसी पाकीज़गी थी कि दिल व जान से इस्लाम के साफ़ सुधरे अक़ीदे को कुबूल कर लें। मक्कारी उन पर ख़त्म थी और यही मक्कारी उनकी ज़िन्दगी का अस्ल सहारा थी। कुरआन करीम में गौर करने से मालूम होता है कि अल्लाह तआला को उनसे जितनी नफ़रत है शायद किसी और से न हो। इसीलिए जहन्नम के भी सबसे निचले तबक़े में इनको झोक दिया जायेगा। इरशादे इलाही हैं: “मुनाफ़िक़ीन निसंदेह आग के सबसे निचले वर्ग में होंगे, उनके लिये तुम हरगिज़ किसी मददगार को नहीं पाओगे।”

निफ़ाक (कपट) दो तरह का होता है। एतकादी निफ़ाक (आस्था का कपट) और अमली निफ़ाक (कर्म का कपट)। एतकादी निफ़ाक का मतलब कि दिल में कुफ़ हो और ज़बान पर ईमान का इज़हार। रसूलुल्लाह (स0अ0) के ज़माने में इस तरह के मुनाफ़िक़ीन बहुत थे। उनकी एक बड़ी संख्या वही (ईशवाणी) के ज़रिये रसूलुल्लाह (स0अ0) को बतला दी गयी थी। मशहूर सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि0) को रसूलुल्लाह (स0अ0) ने कई मुनाफ़िक़ीन के नाम तक बताये थे। यह सब मुनाफ़िक इस्लाम से बाहर थे। अमली निफ़ाक का मतलब यह है कि दिल में तो ईमान कमज़ोर ही सही मौजूद हो, लेकिन अमली ज़िन्दगी को ईमान से वास्ता ही न हो। झूठ, ख़यानत, वादाख़िलाफ़ी, झूठ—मक्कारी और हर तरह की ख़राबियों से ज़िन्दगी भरी हो। क्योंकि एतकादी मुनाफ़िक़ ऐसे ही हुआ करते थे। इसलिए अपने तर्ज़ अमल में ऐसे मुनाफ़िक़ों से समानता रखने

वालों को अमली मुनाफ़िक़ कहा जाता है। अमली निफ़ाक भी बदतरीन किस्म की गुमराही है। बल्कि अमली निफ़ाक एतकादी निफ़ाक की ख़न्दक में गिराने वाली एक कैफ़ियत है। अलबत्ता ऐसे शख्स को इस्लाम से ख़ारिज नहीं कहा जायेगा। रसूलुल्लाह (स0अ0) के ज़माने में एतकादी और अमली निफ़ाक से आलूदा यह बदबूदार टोला मौजूद था जो दिन व रात मुसलमानों में घुसकर उनकी सफ़ों में फूट डालने की कोशिश करता था। इन तमाम मुनाफ़िक़ीन को यहूदियों की शह हासिल थी। यह ऐन मुमकिन था कि अल्लाह की तरफ से एक—एक मुनाफ़िक़ की निशानदेही करके उनकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया जाता और उनका किस्सा ही ख़त्म हो जाता लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुक्म नहीं आया। उसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक यह कि तमाम मुनाफ़िक़ीन मुआशरती तौर पर मुसलमानों ही का हिस्सा समझे जाते थे। मुश्ऱिकीन की निगाह में उनका क़त्ल खुद मुसलमानों ही का आपसी क़त्ल समझा जाता। आम फ़िज़ा इससे प्रभावित होता। यहूदी मदीना और मुश्ऱिकीन दोनों को और फ़िल्मा अंगेज़ी के मौके हाथ आ जाते। खुद रसूलुल्लाह (स0अ0) ने एक दफ़ा यह बात इरशाद फ़रमायी तो लोग कहेंगे कि रसूलुल्लाह (स0अ0) तो अपने साथियों को क़त्ल करते हैं। मानो यह अमल इस्लाम के प्रचार व प्रसार में एक रुकावट बनता। इस वक्त ज़रूरत थी कि लोग इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमानों को मज़बूत करें। इसी तरह बहुत से सीधे—सादे मुसलमान दीन के दुश्मनों की फ़िल्मों से प्रभावित भी हो सकते थे। क्योंकि मुनाफ़िक़ीन ख़ानदानी तौर पर मदीने के अन्सारों के रिश्तेदार थे। इसलिए इसकी संभावना थी कि दुश्मनों की तरफ से मुनाफ़िक़ीन के क़त्ल को ग़लत रंग देकर ख़ानदानी व क़बाइली साम्प्रदायिकता को हवा दी जाती और नतीजे

के तौर पर सही ईमान वालों के क़दम भी डगमगा जाते। इसीलिए रसूलुल्लाह (स0अ0) की तरफ से इन मुनाफ़िकीन के साथ नर्मी और अच्छाई का मामला रहा। बाद में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मुनाफ़िकीन के साथ सख्त रवैया अपनाया जाये तो रसूलुल्लाह (स0अ0) और तमाम ईमान वालों का मामला मुनाफ़िकीन के साथ सख्ती का होने लगा। दूसरी तरफ इस्लाम की तरक्की के साथ—साथ मुनाफ़िकीन की कार्यवाहियां भी दम तोड़ने लगीं। ग़ज्वा—ए—तबूक तक मुनाफ़िकीन की उछलकूद जारी रही। रसूलुल्लाह (स0अ0) के ज़माने के बिल्कुल आखिरी दौर में यह मुनाफ़िक अपनी मौत आप मर गये। कुछ ईमान वाले बने और बाकी जो बचे उनकी हिम्मतें जवाब दे गयीं और तमाम मुनाफ़िकीन अन्दर ही अन्दर घुट कर रह गये। बहरहाल निफाक की बुनियाद पर रसूलुल्लाह (स0अ0) ने किसी को क़त्ल नहीं किया। हां किसास में या क़त्ल की किसी और वजह से कोई मुनाफ़िक मारा गया हो तो दूसरे बात है।

मुनाफ़िकीन के क़त्ल का हुक्म न आने की दूसरी वजह शायद यह रही हो कि खुद मुसलमानों को अन्दरुनी फ़िल्तों और साजिशों का मुकाबला करने के लिये ज़हनी तौर पर तैयार किया जाये ताकि इस्लाम की सबसे पहली मुबारक जमाअत हर तरह के फ़िल्तों से टक्कर लेने के लिये भरपूर तैयार रहे। इसलिए जानबूझ कर मुनाफ़िकीन को रहने दिया ताकि इनके नित नये हरबों और तरह तरह की चालों को अच्छी तरह से समझा जाये। यही वजह है रसूलुल्लाह (स0अ0) की वफ़ात के फौरन बाद जब ज़कात देने से मना करने वालों का फ़िला उठा तो इस फ़िले का शिकार होने वालों में कोई रसूलुल्लाह (स0अ0) का सहाबी न था। इसी तरह हज़रत उस्मान (रज़ि0) की शहादत का जो दर्दनाक वाक्या पेश आया और सारा आलम—ए—इस्लाम एक तरह से फ़िल्तों की ज़द में आ गया तब भी कोई रसूलुल्लाह (स0अ0) का सहाबी इस फ़िलाअंगेज़ कार्यवाही में न अमली तौर पर शरीक रहा और न किसी का साथ दिया। किसी के ज़हन में यह ख्याल आये कि जंग—ए—जमल और जंग—ए—सिफ़फ़ीन में तो सहाबा—ए—किराम एक दूसरे के मुकाबले में आमने—सामने थे फिर कैसे यह कहा जा सकता है कि वे किसी

फ़िले का शिकार न हुए तो इसका जवाब यह है कि जंग—ए—जमल और जंग—ए—सिफ़फ़ीन में सहाबा—ए—किराम की तादाद कम थी साजिश करने वाले बहुत ज़्यादा थे। मामला सुलझाने की कोशिश की गयी लेकिन फ़िलापरवर साजिश करने वाले किसी के काबू में न थे। इसलिए मामला उलझता गया। बदगुमानी और अविश्वास की फ़िज़ा बनायी गयी और जो वाक्ये पेश आये जो सहाबा—ए—किराम में से कोई न चाहता था कि पेश आयें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह0) ने कितनी मुबारक बात फ़रमायी कि यह जंगे फ़िला ज़रूर थीं लेकिन इसमें शामिल कोई सहाबी फ़ितने में नहीं था। वल्लाहु आलम

मदीने के मुनाफ़िकों के दिलों की हालत कुछ ऐसी हो गयी थी कि हर अच्छा काम उनको ग़लत दिखाई देता और फ़िला और फ़साद के काम उनको बड़े भले मालूम होते। कुरआन—ए—करीम ने बहुत सी जगहों पर उनके दिलों के रोग बयान किये हैं। जिनमें से मशहूर मर्ज़ यह हैं:

1— सबसे बड़ा मर्ज़ खुद निफाक (कपट) था। इसी जड़ से कई और मर्ज़ पैदा हुए जैसे:

2— शंकाए व शुब्हे: किसी भी अच्छी बात को सीधे अंदाज में लेते ही न थे। शंकाओं के ज़रिये अविश्वास का वातावरण पैदा करते थे। अफ़वाहें फैलाना उनका दिलचस्प काम था। आरोप लगाना और इल्ज़ाम लगाना उनकी आदत थी। कुरआन—ए—करीम ने इसका सख्त नोटिस लिया और यह ऐलान किया कि अगर मुनाफ़िकीन ने अपनी आदत न बदली तो उनका क़त्ल—ए—आम किया जायेगा।

“अगर मुनाफ़िकीन और वे लोग जिनको दिलों में रोग है और मदीने में फ़िला करने वाले बाज़ न आये तो हम आपको इनके पीछे लगा देंगे। फिर वहां वह कुछ ही मुद्ददत आपके साथ रह पायेंगे। वह फटकारे हुए लोग जहां कहीं मिलेंगे, और अच्छी तरह मारे जायेंगे।”

3— मक्कारी उनकी रग—रग में बसी हुई थी। अपनी तमाम गन्दगियों पर पर्दा डालने के लिये झूठ और मक्कारी व फ़रेब को बहुत बड़े सहारे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कुरआन कहता है:

“उन्होंने अपनी क़समों को एक ढाल बना रखा है। फिर वे अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। यकीनन जो कुछ

वे कर रहे हैं वह बहुत ही बुरा काम है।”

4— जान की हद से बड़ी हुई मुहब्बत ने इज्जत व गैरत का जनाज़ा निकाल दिया था। बुज़दिली और निकम्मेपन ने खोखले दावों में पनाह दे रखी थी। मैदाने अमल में जीरो थे। इरशाद है और खुद बहुत ही कम जंग में शरीक होते हैं, हाल यह है कि तुम पर बड़े हरीस हैं। फिर जब डर का वक्त आता है तो आप देखेंगे कि वे गिड़गिड़ाकर डगर—डगर करती आंखों से आपको तकते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी होने लगे। फिर जब डर ख़त्म हो जाता है तो वे माल की लालच में आपसे मिलकर बड़ी तेज़—तेज़ ज़बाने चलाते हैं। यह लोग हरगिज़ ईमान नहीं लाये। बस अल्लाह ने इनके सब काम बेकार कर दिये।”

5— पैसों की बेतहाशा मुहब्बत ने कंजूसी और बेरहमी पैदा की थी। एक अनजाना सा डर इन पर हमेशा हावी रहता था। जिन्दगी की साफ़—रौशन सीधी राह पर चलना इनको नसीब न हो सका। कोनों, कुदरों में दुबके रहना और डरते—डरते पर्दे के पीछे रहकर ओछी हरकतें करना उनका तरीका था। कुरआन—ए—हकीम उसका बयान इस करता है:

“तो उनका माल और उनकी औलाद आपको अचम्भे में न डाल दे। अल्लाह यही चाहता है कि उसके ज़रिये उनको दुनिया की ज़िन्दगी में अज़ाब दे और कुफ़्र ही की हालत में उनकी जान निकले और वे अल्लाह की क़समें खाते हैं कि वे तुम्हीं में हैं और वे तुममें हैं ही नहीं। अलबत्ता वे डरपोक लोग हैं। अगर उनको कोई पनाह की जगह या ग़ार या घुस बैठने की कोई जगह मिल जाये तो रस्सियां तुड़ा के भागें।”

6— साज़िशी ज़हनियत: उसके ज़रिये बुलन्द किरदार लोगों को गिराने की कोशिश की जाती थी ताकि उनका वक़ार ख़त्म हो। लेकिन हमेशा मुंह की खायी और ज़िल्लत की स्याही उन्हीं के मुंह पर फिरी। अल्लाह तआला का कहना है:

“पहले भी वे फ़िल्ता की तलाश में रहे और आपके कामों में उलटफेर करते रहे यहां तक कि सच्चा वादा आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म ग़ालिब होकर रहा और वे कुढ़ते ही रह गये।”

रसूलुल्लाह (स0अ0) ने मुनाफ़िक को कहा है अर्थात्

वह हैरान व परेशान बकरी जो जिन्सी आसूदगी (शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि) के लिये कभी यहां कभी वहां मारी—मारी फिरती है। अपनी इच्छापूर्ति के लिये मुनाफ़िक कहीं भी किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते थे। जुबान—ए—नुबूवत ने मुनाफ़िक की जो मिसाल पेश की उससे गूढ़ मिसाल कहीं और नहीं मिल सकती। एक रिवायत में है मुनाफ़िक की तीन निशानियां हैं:

1— जब बात करे तो झूठ बोले

2— जब वादा करें तो उसकी खिलाफ़वर्जी करें।

3— जब अमीन बनाया जाये तो ख़्यानत अर्थात् बेर्झमानी करे।

अल्लाह का पैगाम अहल—ए—ईमान के नाम यह है कि वे किसी सूरत में मुनाफ़िकीन की तरह न बने चाहे उसकी जितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े:

“और उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया कि वे अपने आप को भूल गये। वही लोग हैं जो नाफ़रमान हैं।”

## थ्रेष: मुसाफ़िर की नमाज़

..... जैसी किसी गाड़ी पर बैठा है जिसका एक सिरा जानवरों के ऊपर रखा हुआ है तो वह भी जानवर ही के हुक्म में है। यानि नफ़िल जायज़ हैं, फ़र्ज़ जायज़ नहीं है और अगर गाड़ी का कोई हिस्सा जानवर पर नहीं रखा हुआ है, जानवर सिर्फ़ उसको खींचने का काम कर रहा है तो उसका हुक्म तख्त जैसा है, जिस पर फ़र्ज़ और नफ़िल सब जायज़ हैं।

ट्रेन को भी इस पर क़्यास किया गया है और फ़र्ज़ व नफ़िल सबको इसमें पढ़ने की इजाज़त दी गयी है। लेकिन जहां तक हो खड़े होकर और इस्तक़बाले किल्ला करके नमाज़ पढ़नी चाहिये। अगर इस्तक़बाले किल्ला या रुकूअ या सुजूद अज़दहाम वग़ैरह की वजह से मुमकिन न हो तो फ़िलहाल जिस तरह मुमकिन हो नमाज़ पढ़ ले, लेकिन बाद में सवारी से उतरने के बाद इस नमाज़ का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा यही हुक्म बस और हवाई जहाज़ पर भी नमाज़ का है।

अगर क़्यास मुमकिन न हो बक़िया चीज़ें मुमकिन हों तो बैठकर नमाज़ पढ़ ले, बाद में दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं।

# रसूलुल्लाह (स0अ0)

## क्वी मुहब्बत

मुहम्मद अरमुगान बदायूंनी नदवी

हदीसः हज़रत अनस (रजि०) से रिवायत है कि नबी करीम (स0अ0) ने इशाद फ़रमाया: ‘तुममें से कोई भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसके निकट उसके बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा और सभी लोगों से ज्यादा प्यारा न हो जाऊं।’

फ़ायदा: ऊपर दी गयी हदीस में ईमान को पूरा करने की एक बुनियादी शर्त रसूलुल्लाह (स0अ0) की मुबारक ज़िबान से इन शब्दों में बतायी गयी है कि किसी भी व्यक्ति का ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि “मैं उसके निकट सबसे ज्यादा महबूब न हो जाऊं।” फिर उसके बाद और स्पष्ट करते हुए इन्सान को स्वाभाविक रूप से जिनसे सबसे ज्यादा मुहब्बत हो सकती है उनका भी वर्णन कर दिया कि इन्सान के पिता और उसकी औलाद से भी ज्यादा प्यारा न हो जाऊं।

कुरआन मजीद में भी यह बात कह दी गयी है कि ईमान वालों के लिये मुहब्बत का केन्द्र बिन्दु अल्लाह और उसके रसूल ही हैं। दुनिया की सभी चीज़ें दूसरी श्रेणी में आती हैं। बात यह है कि नबी अकरम (स0अ0) से हर ईमान वाले का मुहब्बत करना एक वाजिब हक़ है, क्योंकि दुनिया में मुहब्बत के सभी प्रदर्शनों की बुनियाद तो आप (स0अ0) ही की ज़ात व सिफात है। अगर आप (स0अ0) ने इस दुनिया में रिश्तों का लिहाज़ रखने की शिक्षा न दी होती, लोगों में तरक़ी का ज़ज्बा पैदा करने की कोशिश न की होती, तो यह दुनिया यक़ीनन अपनी बाक़ी रहने को तरस रही होती, मानो इस समय इल्म व फ़ज़ल के एतबार से जो भी शाखिस्यत नुमायां नज़र आ रही हैं या रिश्तों के एतबार से जिन रिश्तेदारियों का हम लिहाज़ कर रहे हैं, यह सब नबी करीम (स0अ0) की शिक्षाओं का सिला है, जिन्होंने दुनिया को ज़िन्दगी गुज़ारने का एक तरीक़ा दिया। इसलिए मुहब्बत के याचक भी आप (स0अ0) हैं कि आपकी ज़ात से वह मुहब्बत की जाए जो किसी से न हो। कभी—कभी इन्सान

अपनी इच्छाओं का ऐसा गुलाम हो जाता है कि उसके सामने तालीमात—ए—नबवी दूसरे दर्जे की चीज़ हो जाती है। हालांकि हज़रत उमर (रजि०) की एक रिवायत में साफ़ तौर से आता है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) की मुहब्बत के सामने अपने मन को भी मारना है।

मुहब्बत की दो किस्में बतायी जाती हैं; एक स्वभाविक मुहब्बत और दूसरी अक़ली मुहब्बत। अगर इन्सान पहले अक़ल से सोचकर मुहब्बत करे और फिर उसको दिल में महफूज़ कर ले तो फिर यह मुहब्बत सदा की होती है। लेकिन जहां यह मुहब्बत अक़ल का साथ छोड़ती है तो उसका नतीजा यह होता है कि न औलाद को मां—बाप से और न मां—बाप को औलाद से मुहब्बत बाक़ी रहती है। बल्कि हर कोई अपने—अपने लाभ के आधार पर मुहब्बत का इज़हार करता है और फिर उसके बड़े संगीन नतीजे सामने आते हैं।

इसीलिए नबी करीम (स0अ0) से मुहब्बत अक़ली और स्वभाविक दोनों तरह से होनी चाहिए। सहाबा किराम ने पहले अक़ल से इस हकीकत को समझा कि उनकी इत्तेबा में दोनों जहां की कामयाबी है, फिर वह मुहब्बत दिल में ऐसी पैदा हो गयी कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी उसको हिला न सकीं। दरअस्ल मुहब्बत के फ़ायदे में यह बात शामिल है कि इन्सान को अगर किसी से मुहब्बत होती है तो उसके जैसे आमाल करना इन्सान को अच्छा लगता है। अब अगर यह मुहब्बत सरकर—ए—कायनात हज़रत मुहम्मद (स0अ0) से पैदा हो जाए तो ज़ाहिर बात है कि इन्सान रसूलुल्लाह (स0अ0) के तरीके पर चलने में गर्व महसूस करेगा और छोटी—छोटी चीज़ में पैरवी की कोशिश करेगा।

मौजूदा दौर में ऐसे ईमान वाले महान लोग कम ही नज़र आते हैं जिनके लिये नबी करीम (स0अ0) की मुहब्बत के सामने तमाम मोहब्बतें कमतर हों, बल्कि उम्मत—ए—मुस्लिमा में भी एक बड़ी तादाद है जिसकी मुहब्बत का केन्द्र बिन्दु वे लोग हैं जो खुद अपने ही वुजूद पर शर्मिन्दा हैं। हालांकि हर ईमान वाले पर यह लाज़िम हक़ है कि वह नबी अकरम (स0अ0) से मुहब्बत को अपने लिये एक लाज़मी हक़ समझे जिसके बिना ईमान का पूरा होना नामुमकिन है और जो साफ़ तौर से इस हदीस में मौजूद है।

# मुसलमानों के नरसंहार का रूपेनी मॉडल

मुहम्मद नफीस झाँ नंदवी

712 ईसवी से 1492 ईसवी तक मुसलमान स्पेन के शासक रहे। यह निर्माण व संस्कृति की उन्नति का सुनहरा युग था। शिल्प व कला अपने चरम पर थी। अविष्कार हो या निर्माण, विज्ञान हो या संस्कृति मुसलमानों का दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं था। इस दौर में यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में केवल छः सौ किताबें थीं जबकि स्पेन की राजधानी कुर्तबा के लिपिक हर वर्ष लगभग छः सौ किताबें लिख रहे थे। अलहमरा पैलेस मुस्लिम निर्माण कला का आज भी एक अजूबा माना जाता है। समाज की अमन व शांति दुनिया के लिये एक मिसाल थी। पूरे स्पेन में ईसाई और यहूदी इतिहास के साथ थे। इस दौर में इस्लाम अपनी बेहतरीन सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों के कारण से पूरे पश्चिम में तेज़ी से फैलने वाला धर्म था।

1492 ईसवी में मुसलमान शासकों के पतन से मुसलमनों को नयी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। एक खूनी इतिहास लिखा गया। स्पेन पर 780 साल के मुस्लिम शासन के शानदार दौर को अधिकतर भुला दिया गया। उन्हें गुलाम बनाया गया और फिर उनके साथ अत्यधिक वहशियाना और अमानवीय बर्ताव किया गया। उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया गया और असहयोग की सज़ा मौत या देश निकाला के रूप में दी गयी। उसे इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार में से एक कहना ग़लत न होगा। यह एक ऐसा नरसंहार था जिसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। स्पेन के गली-कूचे मुसलमानों के खून से लाल कर दिये गये और लाखों-लाख स्पेनी मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। और जो ईसाई तलवारों से सुरक्षित रहे उनको देश निकाला का जबरिया आदेश सुना दिया गया। एक अंग्रेज़ लेखक स्वयं स्वीकार करता है:

*“Between 1604-14 an estimated 350,000 men, women, children were forcibly removed their homes and deported from the country in what was then the largest removal of a civilian population in European history.”*

“1609 ईसवी से लेकर 1614 ईसवी तक लगभग साढ़े तीन लाख मर्द, औरत, बच्चे जबरन अपने घरों से निकाल दिये गये और देश से बाहर कर दिये गये। यूरोप के इतिहास में किसी आबादी का यह सबसे बड़ा देश निकाला था।”

मुसलमानों के नरसंहार का स्पेनी मॉडल आज भी पश्चिम के लिये कामयाबी की दलील समझा जाता है यह इस्लामी मूल्यों के अपमान का आरम्भिक युग था जिसने आगे चलकर मुस्लिम नरसंहार के एक विशेष प्रकार के रैवैये को अधिक बढ़ावा दिया। पश्चिम में इस्लाम के प्रति नफरत खुले व छिपे प्रकट की जाने लगी। केवल 1800 ईसवी से लेकर 1950 के मध्य के समय में अत्यधिक चरणबद्ध रूप से इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलती हुई किताबें लिखी गयीं। मीडिया की उन्नति हुई तो इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काऊ ख़बरें प्रकाशित होने लगीं और मुसलमानों से द्वेष पर आधारित फ़िल्में भी बनायी जाने लगीं। यह एक भरपूर और मीडियाई षड्यन्त्र का दौर था और उसका मूलभूत उद्देश्य पश्चिम में मुस्लिम विरोध की भावना को बढ़ावा देना और मुसलमानों को ख़ौफ़ व दहशत की तस्वीर बनाकर प्रस्तुत करना था। जिसे पारिभाषिक भाषा में “इस्लामोफोबिया” (Islamophobia) भी कहा जाता है।

आश्चर्यजनक रूप से दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले पश्चिम में आज भी 60 से 70 प्रतिशत लेख मुसलमानों व इस्लाम से दुश्मनी पर आधारित होते हैं। कुरान की आयतें और इस्लामी शिक्षाओं को ग़लत व्याख्याएं देकर उनका दुष्प्रचार किया जाता है। समय-समय पर एक ख़ास मन्सूबे के तहत मुसलमानों की शह रग पर हमला करने के लिये रसूलुल्लाह (स0अ0) के अपमान के कदम भी उठाए जाते हैं ताकि मुसलमानों को मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा सके अतः उनके हौसले तोड़ने का कोई मौक़ा हाथ से जाने नहीं दिया जाता।

पश्चिम की मुसलमानों से दुश्मनी को परखने के लिये अंटलांटा में होने वाले यहूदियों की एक बड़ी धार्मिक सभा में एक यहूदी रब्बी (Shalom) का यह भाषण ही उसको स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण माध्यम है जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक खुले ऐलाने जंग के तौर पर दुनिया के कानों से टकराया। उसका एक भाग देखें:

“हमारा दुश्मन जो देखने में इन्सानों की तरह है लेकिन

उसका दिल, उसकी आत्मा बिल्कुल अमानवीय है। यह एक ऐसी बला है, यह एक ऐसी आफ़त है जो हमारे सरों पर मंडरा रही है। उसकी संख्या दुनिया की कुल आबादी का एक बिलियन है जिसका पांच प्रतिशत हिस्सा दुनिया में दहशत फैला रहा है। 5 प्रतिशत का अर्थ है कि 50 मिलियन मुसलमान हैं जो कुरआन उठाये, मुंह से अल्लाहु अकबर कहते हुए हमारे गले काट रहे हैं। हमें उनसे नफ़रत है लेकिन केवल नफ़रत से काम नहीं चलेगा। हमें उनका समूल नाश करना होगा बिना यह सोचे कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं। हमें स्पेन की तरह उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। हमें एहसानमन्द होना चाहिये कि इस्लाईल हमारी जंग लड़ रहा है। हमें एहसान मानना चाहिये कि अमरीका हमारा साथ दे रहा है। खुदा इस्लाईल व अमरीका को अपने हिफ़ज़ व अमान (सुरक्षा) में रखे।”

एक प्रसिद्ध ईसाई पत्रिका में प्रकाशित होने वाले लेख की कुछ लाइनें भी देखिये:

“ईसाईयों का मुसलमानों के साथ अमन से रहना असंभव है। आवश्यकता इस काम की है कि मूर्ज़ (Moors) अर्थात् मुसलमानों को ज़बरदस्ती ईसाई बना लिया जाये या अपने देश से बाहर निकाल फेंका जाये। यदि ऐसा संभव नहीं तो तीसरा रास्ता उनके नरसंहार का है।”

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि चरमपंथी यहूदी व ईसाई मुसलमानों के नरसंहार के स्पेनी मॉडल को किस हद तक स्वीकार्य समझते हैं। इसी स्पेनी मॉडल की पैरवी करते हुए विभिन्न देशों में मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम या उनके नस्ल के ख़ात्मे की विभिन्न कोशिशें की जा चुकी हैं।

बोस्निया में मुसलमानों के ख़ात्मे की जो कोशिशें की गईं और जिस प्रकार उनके खून से होली खेली गयी, उन घटनाओं ने दुख-दर्द व हिंसा के न बयान कर सकने वाले हालात की दास्तान लिख दी है। सर्बिया वालों ने लगभग दो लाख निहत्ये मुसलमानों को अत्यधिक वहशियाना तरीके से मौत के घाट उतार दिया।

अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी जंग में भी लाखों लोग मौत के घाट उतार दिये गये।

फ़िलिस्तीन में 1948 ई० से लेकर अब तक निहत्ये फ़िलिस्तीनी नवजावानों, बूढ़ों और बच्चों की गिरती लाशें पश्चिम और अन्तर्राष्ट्रीय पश्चिमी संस्थाओं की निर्दयी होने का मुंह बोलता सुबूत है।

बर्मा अर्थात् म्यांमार में बौद्ध मत के मानने वालों ने अपने अमन व शांति के धार्मिक पाठ को भुलाकर जिस तरह मुसलमानों को मौत के मुंह में ढकेला, वह भी सबके सामने है।

पश्चिमी दुनिया से बाहर निकल कर देखें तो दुनिया के दूसरे देश भी इसी मॉडल पर चलते हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश के एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी अखबार के एक जर्नलिस्ट ने अपने एक लेख के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत करने का साहस कुछ इस प्रकार किया है:

“भारत में आर्य समाज, रामा कृष्णा मिशन, विश्व हिन्दू परिषद और अब भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के नरसंहार का स्पेनी मॉडल अपना रखा है। यह हिन्दू-मुस्लिम दंगे की आड़ में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अपने अत्याचार का निशाना बनाते हैं। उन्हें और उनके घर-बार को दंगे की आड़ में जला दिया जाता है। पांच प्रतिशत मुसलमान तो हिन्दू समाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं लेकिन 95 प्रतिशत का कोई हाल-चाल लेने वाला नहीं है। यह वर्ग अत्यधिक ग्रीष्मी और पिछड़ेपन के साथ-साथ चरमपंथियों के अत्याचार सहने पर भी मजबूर है। यहां मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां हिन्दू राजनीतिक पार्टियों की दुमछल्ला रही हैं। कुछ ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो मुसलमानों की सांस्कृति बनावट का बचाव करते हैं लेकिन यह नेता भी इस्लाम को सुरक्षा देना चाहते हैं मुसलमानों को नहीं।”

भारत के कई राज्यों जैसे गुजरात, बिहार, आन्ध्रप्रदेश इत्यादि में मुसलमानों के नरसंहार की अनगिनत घटनाएं घट चुकी हैं। केवल कश्मीर में ही 1989 ईसवी से लेकर अब तक अब तक एक लाख से अधिक मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है।

इन सभी परिस्थितियों पर विकसित व तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चुप्पी साधे रहे। उन्हें ईसाईयों, यहूदियों तथा बहुदेववादियों की चरमपंथ या आतंकवाद कण मात्र भी दिखाई नहीं देता। कभी-कभी हेमन्त करकरे जैसा बहादुर अफ़सर या गौरीलंकेल जैसे निर्भीक पत्रकार वास्तविकता को सामने रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है।

कुछ समय पहले अमरीका में जब तीन मुस्लिम नवयुवकों को ईसाई कट्टरपंथियों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी तो पश्चिमी मीडिया की इस घटना पर साधी

गयी चुप्पी को लताड़ते हुए मुस्लिम ज्यूज क्रिशचन एलाइंस के फ़ाउन्डिंग मेम्बर मिस्टर केविन बैरेट (Kevin Barrett) ने लिखा:

“उस घटना पर खामोश होकर वास्तव में मीडिया भी मुसलमानों के क़त्ल—ए—आम की हिस्सेदार बन गयी। हमारी मीडिया वास्तव में दुनिया को यह बताना चाहती है कि मुसलमानों को अपनी सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं। अब मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे अपने इस नरसंहार के विरुद्ध अपना बचाव करें।”

संतुलित पश्चिमी चिन्तकों को भी यह बात स्वीकार्य है कि दुनिया भर में जब भी कोई आतंकवादी घटना घटती है तो एक सोची—समझी योजना के तहत उसे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और फिर उस घटना का एक ही रुख पश्चिमी समाज और बाकी दुनिया के सामने रखा जाता है ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठाये जाने वाले हर क़दम को पश्चिम की जनता का समर्थन प्राप्त रहे। इसी साज़िश का हिस्सा है कि खुद इस्लामी देशों में भी एक विशेष प्रकार की पढ़ी—लिखी सेक्युलर सोच पैदा करके उसे मुसलमानों की सामाजिकता एवं सभ्यता के ख़िलाफ़ भड़काने तथा नफ़रत फैलाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह बहुत ही अजीब तथा हौसला तोड़ने वाली बात है कि इस्लामोफोबिया या मुस्लिम नरसंहार के ख़िलाफ़ खुद पश्चिमी देशों में बहुत से लोग सवाल उठाते हुए पाये जाते हैं किन्तु हमारे “रौशनख्याल चिन्तक” उसे एक अप्रचलित व दिमाग़ी उपज क़रार देते हैं और पश्चिम की इस्लाम से दुश्मनी को केवल “कट्टरवादी मौलवियों” का दिमाग़ी उपज समझते हैं। इसी परिपेक्ष में यदि हम यह मान लें कि हमारी हर कमज़ोरी, हर कमी, हर हाल के लिये पश्चिम को ज़िम्मेदार नहीं बनाया जा सकता है और एक क्षण के लिये यह भी मान लें कि हमारे पिछड़े पन और हमारी गंभीर समस्याओं में पश्चिम का कोई हाथ नहीं। फिर भी पश्चिम की इस दोहरी पॉलिसी की हकीकत अपनी जगह मौजूद रहेगी गैरमुस्लिमों के हमले के समय कुछ और होती है और कश्मीर, फ़िलिस्तीन या म्यांमार में बेगुनाह, निहथे मुसलमानों का ख़ून बहाये जाने पर कुछ और! और यह भी हकीकत है कि मुसलमान पश्चिम की सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक कट्टरवाद का शिकार हैं और कई सदियों से उनके ख़ून की होली खेली जा रही है।

आज पश्चिमी ताक़तें इस्लाम से नफ़रत में इतना आगे

बढ़ गयी हैं कि वे खुद भी एक ख़ास ज़हनी कैफ़ियत और मानसिक तनाव का शिकार हैं। वास्तव में उन्हें मुसलमानों की फैलाए हुए “तथाकथित आतंकवाद” का भय नहीं बल्कि इस्लाम के तेज़ी से फैलने का ख़तरा सता रहा है। इस्लाम धर्म जितनी तेज़ी से फैल रहा है यह चैलेंज पश्चिम के रातों की नींद उड़ा रहा है। एक अनुमान के अनुसार यूके तथा फ्रांस में पिछले दस सालों में लगभग एक लाख लोगों ने इस्लाम कुबूल किया है। जर्मनी और अमरीका में हर साल लगभग 20 हज़ार लोग इस्लाम कुबूल कर रहे हैं। संभव है कि आंकड़े बढ़ा—चढ़ा कर प्रस्तुत किये गये हों लेकिन इस वास्तविकता से इनकार की बिल्कुल भी संभावना नहीं कि 9/11 की घटना के बाद पश्चिमी समाज में इस्लाम के अध्ययन आरम्भ किया और थोड़े से समय में इस्लाम के नाम लेवा बन गये।

निसंदेह पश्चिम के जारहाना व हिंसक रवैये का मुन्तका ख़बाब पुर तश्ददुद ही होना चाहिये लेकिन चूंकि इस्लाम अमन पसंदी का अमली दावेदार है और मुसलमानों का वजूद उम्मत—ए—दावत की हैसियत से है इसलिए किसी भी पुर तश्ददुद और अमानवीय तरीके को अपनाना इस्लाम की नज़र में गंभीर अपराध है। इसीलिए पश्चिम की तरह हिंसक रास्तों पर चलने के बजाय उसका मुकाबला ईमानी जुर्रत, प्रभावशाली साधनों और ठोस दलीलों के द्वारा करना होगा और उसके लिये सबसे पहले खुद को मुजरिम या कमज़ोर समझने की सोच को समाप्त करना ज़रूरी है।

यदि आज हम किसी साज़िश का शिकार हैं तो उस साज़िश के सफल होने में किसी हद तक हमारी कमियों का भी हाथ है। हम किसी हद तक एहसास—ए—कमतरी का शिकार हैं, इसलिए अपनेआप को कोसने के बजाय एक नये एहसास में दाखिल होने की ज़रूरत है; और वह है आत्मविश्वास, इस्लामी सभ्यता व संस्कृति पर गर्व और उसे हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हुए उसी के मार्गदर्शन में अपने चरित्र का नवनिर्माण करना। उसी के द्वारा समस्याओं के हल की नवीन व स्वीकार्य राहें निकल सकेंगी और उसी के द्वारा गुमराह लोगों को जो हिंसक रास्तों को अपना मुक्तिमार्ग बना चुके हैं, जो बहकावे में आकर अपना और अपनों ही का ख़ून बहाने लगे हैं, उनका भी सुधार हो पायेगा और सबसे बढ़कर पश्चिम की हिंसक पॉलिसियों और पक्षपात पर आधारित प्रोपगन्डों की काट संभव हो सकेगी।

## दरूद व सलाम

### सद्के की जगह दरूद शरीफ़

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा न होने की वजह से सदका नहीं कर सकते और वे इस नेअमत से महसूस रहते हैं। लेकिन हुजूर (स०अ०) ने इसका भी बदल अता फ़रमा दिया है। आप (स०अ०) फ़रमाते हैं:

“जो शास्त्र सदका न कर सके वह मुझ पर दरूद पढ़े।”

### दरूद शरीफ़ पढ़ने का वक्त

दरूद शरीफ़ हर वक्त पढ़ा जा सकता है सिवाय इसके कि गन्दी जगह और नापाक न हो। इसलिए कि ऐसे मौकों पर दरूद शरीफ़ पढ़ना अदब के खिलाफ़ है।

लेकिन इसके बहुत से खास वक्त हैं। बुजुर्गों ने इन वक्तों का ज़िक्र फ़रमाया है। आप भी कुछ वक्त पढ़ लीजिये।

१. बुजू और तयम्मुम के बाद, २. नहाने (गुस्ल—ए—जनाबत) के बाद, ३. नमाज़ के अन्दर और बाहर, ४. नमाज़ शुरू करने के वक्त, ५. सुबह की नमाज़ के बाद, ६. मग़रिब की नमाज़ के बाद, ७. अत्तहियात पढ़ने के बाद, ८. कुनूत में, ९. तहज्जुद के लिये खड़े होते वक्त, १०. मस्जिदों पर गुज़रते वक्त, ११. मस्जिदों को देखकर, १२. मस्जिद में दाखिल होकर, १३. मस्जिद से निकलते वक्त, १४. अज्ञान के जवाब में, १५. जुमे के दिन, १६. जुमे की रात को, १७. जुमे के खुत्बे में, १८. ईद की नमाज़ों के खुत्बे में, १९. सनीचर, दोशम्बा, बुद्ध को, २०. इस्तिसका की नमाज़ में, २१. सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के खुत्बों में, २२. दुआ के अब्बल—आस्खिर, २३. मैथ्यत को कब्र में उतारते वक्त, २४. सफ़ा व मरवा पर चढ़ते वक्त, २५. लब्बैक से फ़रागत पर, २६. हज़े अस्वद के बोसे के वक्त, २७. मुलतज़िम पर से हटते वक्त, २८. अरफ़ा की शाम को, २९. मिना की मस्जिद में, ३०. मदीना पर निगाह पड़ते वक्त, ३१. हुजूर (स०अ०) की कब्र—ए—अतहर की ज़ियरत के वक्त, ३२. रुख्सत होते वक्त, ३३. अज्ञान के बाद जवाब और दरूद शरीफ़, ३४. दुआ मांगते वक्त, ३५. वसीयत लिखते वक्त, ३६. तिजारत के वक्त, ३७. जानवर को ज़िबह करते वक्त, ३८. फ़क्र में, ३९. हर ज़रूरत के वक्त, ४०. ग्राम, बेचैनी, परेशानी के वक्त, ४१. कान बजने, छींक आने, किसी चीज़ को रखकर भूल जाने और बातचीत की शुरूआत के वक्त, ४२. ईद की नमाज़ों और जनाज़े की नमाज़ों की तकरीब के दरमियान, ४३. हुजूर (स०अ०) के आस्ताना—ए—शरीफ़ जैसे बद वगैरह से गुज़रते वक्त।

यह कुछ मौके लिखे जाते हैं, इन सब मौकों पर पढ़ा जाये तो सवाब और मुफ़ीद है।

R.N.I. No.  
UPHIN/2009/30527





Monthly  
**ARAFAT KIRAN**  
Raebareli

Postal Reg. No.  
RBL/NP -19

Issue: 12

DECEMBER 2017

VOLUME: 09



Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi

**MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI**

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.  
Mobile: 9565271812  
E-Mail: markazulimam@gmail.com  
www.abulhasanalnadi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi  
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi  
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche, Phatak  
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.